विद्यार्थियों की हस्तपुस्तिका

शैक्षिक वर्ष 2022-2023

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय
(संसद द्वारा पारित अधिनियम)

तिरुवारूर,

तमिलनाडु, भारत

राष्ट्रगीत

वंदे मातरम् !
सुजलां सुफलाम् मलजयशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् , मातरम् !
वंदे मातरम् !
शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनीम् ,
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम् ,
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम् ,
सुखदां वरदां, मातरम् !
वंदे मातरम् , वंदे मातरम् !

बंकिम चंद्र चाटर्जी (1838 – 1894), भारत के श्रेष्ठ कवि ने 7 नवंबर 1875 को 'वंदे मातरम्' भारत के राष्ट्रगीत को प्रस्तुत किया।

महर्षि अरविन्द द्वारा किए गए अंग्रेजी गद्य-अनुवाद का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है-

मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ, ओ माता !
पानी से सींची, फलों से भरी,
दक्षिण की वायु के साथ शान्त,
कटाई की फसलों के साथ गहरी,
माता !
उसकी रातें चाँदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं,
उसकी जमीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है,
हँसी की मिठास, वाणी की मिठास,
माता ! वरदान देने वाली, आनंद देने वाली।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन-अधिनायक, जय है
भारत-भाग्य-विधाता,
पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग
विंध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा
उच्छल-जलधि-तरंग
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशीष मागे,
गाहे तव जय गाथा,
जन-गण-मंगलदायक जय है
भारत-भाग्य-विधाता !
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

- **रवीन्द्रनाथ टैगोर**

सभी लोगों के मस्तिष्क के शासक, कला तुम हो,
भारत की किस्मत बनाने वाले,
तुम्हारा नाम पंजाब, सिंध, गुजरात और
मराठों के दिलों के साथ ही, बंगाल, ओडिसा और द्रविड़ों को भी
उत्तेजित करता है,
इसकी गूँज विंध्य और हिमाल्य के पहाड़ों में सुनाई देती है,
गंगा और जमुना के संगीत में मिलती है और
भारतीय समुद्र की लहरों द्वारा गुण्गान किया जाता है।
वो तुम्हारे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते है और तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते है।
तुम भी समस्त प्राणियों को सुरक्षा एवं मंगल जीवन प्रदान करने वाले हो,
और तुम ही भारत के वास्तिविक भाग्य विधाता हो
जय हो जय हो जय हो तुम्हारी ।

मूल कर्तव्य

(अनुच्छेद 51ए)

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें;
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान विरुद्ध है;
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे तथा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों के छुलें
10. यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति बालक या प्रतिपालय के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

उद्धृतश्रोत: भारतीय संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व – संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय**,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता**,**

प्रतिष्ठा और अवसर की समता
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज
तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को

एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत**,** अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।

तमिल ताई वाऴ्तु - தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

““நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்தைக் கெழிலொழுகும்

சீராரும் வதனமெனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்

தெக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிட நல் திருநாடும்

தக்கசிறு பிறைநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுமே

அத்திலக வாசனைபோல் அனைத்துலகும் இன்பமுற

எத்திசையும் புகழ்மணக்க இருந்தபெருந் தமிழணங்கே!

தமிழணங்கே!

உன் சீரிளமைத் திறம்வியந்துசெயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே!

வாழ்த்துதுமே!!

வாழ்த்துதுமே!!!””

--மனோன்மணியம் பெ. சுந்தரம் பிள்ளை

“नीरारुम कडलुडुत्त निलमडंदै केळिलोळुगुम
सीरारुम वदनमेन तिगऴ भरत कंडामिदिल
तेक्कनमुम अधिर्सिरंत द्राविड-नल-तिरुनाडुम
तक्कसिरु पिरैनुदलुम दरितनरुम तिलगमुमे
अत्तिलगा वासनैपोल अनैतुलगुम इन्बमुर
एत्तिसैयुम पुगऴ मनक्क इरुंद पेरुम तमिऴ अनंगे !
तमिल अनगे !
उन सीरिलमै तिरम वियंदु
सेयल मरंदु वाऴत्तुदुमे !
वाऴत्तुदुमे !
वाऴत्तुदुमे !”

मनोमनियम सुंदरम पिल्लै

राष्ट्रीय प्रतिज्ञा

भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं।
हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है।
हम इसके सुभोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे।
हम अपने माता-पिता, शिक्षकों, और गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे।
हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं।
उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है।

प्रस्तावना

भारत सरकार ने 2009 में संसद द्वारा पारित अधिनियम 2009 के माध्यम से आठ अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की । यह केंद्र सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के उन इच्छुक वर्गो के उच्चतर शिक्षा को सुलभ बनाने की अहम भूमिका का एक भाग था।

एम.ए अंग्रेजी अध्ययन में आठ विद्यार्थियों के साथ, विश्वविद्यालय ने दूर तिरुवारूर के कलेक्ट्रेट एनेक्स (तंजावुर से 60 किलोमीटर पूर्व) में नवंबर 2009 को अपना कार्य शुरु किया। लेकिन आज विश्वविद्यालय तिरुवारूर से सात किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में प्रसिद्ध कावेरी नदी के डेल्टा तट पर स्थित है। चोला के प्राचीन राजवंश की राजधानी होने के कारण, तिरुवारुर पुरातनता और नृत्य तथा संगीत के पारंपरिक रूपों से युक्त मंदिरों का नगर है। वेट्टारू नदी नागक्कुडी परिसर और नीलकुडी परिसर के बीच बहती है, जिसके उत्तर में संकाय एवं स्टॉफ क्वार्टर्स, अतिथि गृह और केंद्रीय विद्यालय स्थित है और दक्षिण के नीलकुडी परिसर में व्याख्यान सभागार, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, प्रशासनिक ब्लॉक, प्रेक्षागृह और छात्रावास है। दोनों परिसर एक विशाल, हरे-भरे धान के प्रदेश में स्थित है, जो शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर है। इस एकात्मक शांत, ग्रामीण परिवेश में, आवासीय विश्वविद्यालय, अपने अनुसंधान, शिक्षण और मूल्यांकन जैसे शैक्षिक-गतिविधियों से भरपूर है जो एक-एक विद्यापीठ के रूप में अनियंत्रित स्वायत्त के साथ अपने पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, शिक्षण, अधिगम, परीक्षण एवं मूल्यांकन विधियों द्वारा नित्य नए प्रयोग करते हैं। छात्र एवं संकाय सदस्य परिसर में साथ रहते है जो शिक्षण एवं अधिगम को कक्षा एवं कक्षाकार्य की सीमा से बाहर लाती है।

परिदृश्य

अभिनव रचनात्मक प्रयास और विद्या विषय अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देते हुए व्यक्तियों, राष्ट्र तथा विश्व की शांति एवं सुसंपन्नता हेतु सुविज्ञ समाज की प्रबुद्ध नागरिकता विकास करना और उच्च शिक्षा व शोध कार्यों के लिए वैश्विक गंतव्य स्थान बनना।

मिशन

बहुविषयक अध्ययन द्वारा परिवर्तन के प्रकाश स्तंभ के रूप में सेवा करना, सुशिक्षित समाज के सृजन के लिए सशक्त चरित्र के निर्माण द्वारा सुविज्ञ समुदाय के सृजन तथा मूल्य-आधरित, पारदर्शी कार्य-नीति के पोषण के लिए कार्यविधि का अनुपालन एवं भारत के लोगों के समग्र विकास व आत्निर्भरता के लिए रचनात्मक और विवेकपूर्ण चिंतन को बढ़ावा देना। विश्वविद्यालय इस ध्येय की प्राप्ति शिक्षण में उत्कृष्टता का वातावरण और अध्ययन के शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त क्षेत्रों में नवोन्मेष एवं अनुसंधान के विकास द्वारा करने हेतु प्रयासरत है।

उद्देश्य

1. शिक्षा की ऐसी शाखाओं में जो वह उचित समझे, शिक्षण और अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और विकास करना ।
2. अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान करना ।
3. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया और अंतःविषय अध्ययन और अनुसंधान में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उचित उपाय करना ।
4. देश के विकास के लिए जनशक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करना ।
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के साथ संबंध स्थापित करना ।
6. लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार और उनके कल्याण, उनके बौद्धिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास पर विशेष ध्यान देना ।

प्रशासनिक निकाय (संगठनात्मक संरचना)

कुलाध्यक्ष	: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू (भारत के महामहिम राष्ट्रपति)
कुलाधिपति	: प्रो. पी. पद्मनाबन
कुलपति	: प्रो. डॉ. एम. कृष्णन्
कुलसचिव (प्रभारी)	: प्रो. सुलोचना शेखर
वित्त अधिकारी	: सीएमए. वी. पलनी
परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी)	: प्रो. एस. नागराजन
पुस्तकाध्यक्ष	: डॉ. आर. परमेस्वरन्

(संगठनात्मक संरचना)

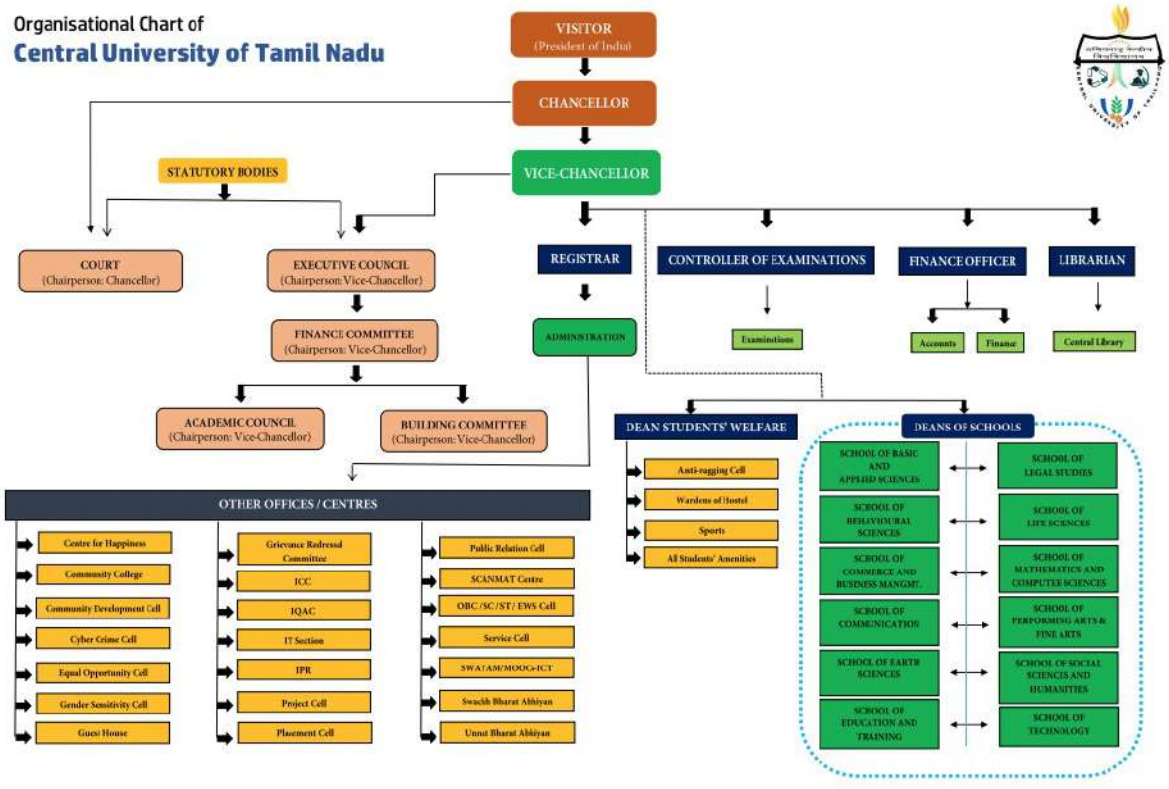

https://cutn.ac.in/wp-content/uploads/2021/10/CUTN_Organisational_Chart.pdf

शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं केंद्र

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विद्यापीठ अंग्रेजी अध्ययन विभाग तमिल विभाग अर्थशास्त्र विभाग समाज कार्य विभाग हिन्दी विभाग इतिहास विभाग	**संचार विद्यापीठ** मीडिया एवं संचार विभाग पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यापीठ भौतिकी विभाग रसायन विभाग	**जीवन विज्ञान विद्यापीठ** जैवप्रौद्योगिकी विभाग महामारी विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य विभाग सूक्ष्मजीवविज्ञानविभाग बागबानी विभाग
गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान विद्यापीठ गणित विभाग सांख्यिकी एवं अनुप्रयुक्त गणित विभाग कंप्यूटर विज्ञान विभाग	**शिक्षण एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ** शिक्षा विभाग
व्यवहार विज्ञान विद्यापीठ अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग	**प्रौद्योगिकी विद्यापीठ** पदार्थ विज्ञान विभाग
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विद्यापीठ वाणिज्य विभाग प्रबंधन विभाग पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन विभाग	**प्रदर्शन एवं ललित कला विद्यापीठ** संगीत विभाग
पृथ्वी-विज्ञान विद्यापीठ भूगोल विज्ञान भू-विज्ञान विभाग	**विधि अध्ययन विद्यापीठ** विधि विभाग
	केंद्र प्रसन्नता केंद्र स्केनमेट केंद्र
	सामुदायिक कॉलेज

संकायाध्यक्ष

क्र.सं.	विद्यापीठ /अनुभाग	संकायाध्यक्ष का नाम	ई-मेल
1	छात्र कल्याण	प्रो. ए. सेलवम	deansw@cutn.ac.in
2	मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यापीठ	प्रो. टी. मोहन दास	deanbas@cutn.ac.in
3	गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान विद्यापीठ	प्रो. टी. सेंगदिर	deansmcs@cutn.ac.in
4	समाज विज्ञान एवं मानविकी विद्यापीठ	प्रो. पी. वेलमुरुगन	deanssh@cutn.ac.in
5	व्यवहार विज्ञान विद्यापीठ	प्रो. सिगामणि पन्नीर	deansbs@cutn.ac.in
6	पृथ्वी-विज्ञान	प्रो. सुलोचना शेखर	deanses@cutn.ac.in
7	शिक्षण एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ	प्रो. पी. श्रीनिवासन	deansoe@cutn.ac.in
8	संचार विद्यापीठ	प्रो.जी.रविन्द्रन	deansoc@cutn.ac.in
9	प्रौद्योगिकी विद्यापीठ	डॉ. के. सेतुरामन	deanst@cutn.ac.in
10	प्रदर्शन एवं ललित कला विद्यापीठ	डॉ. वी. प्रेमलता	deanpafa@cutn.ac.in
11	जीवन विज्ञान विद्यापीठ	प्रो. राम राजशेखरन	deanls@cutn.ac.in
12	वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विद्यापीठ	प्रो. चंद्र मोहन ए	deancbm@cutn.ac.in
13	विधि अध्ययन विद्यापीठ	डॉ. पी.एस. वेलमुरुगन	deansls@cutn.ac.in
14	संकायाध्यक्ष (शैक्षिक)	प्रो. एस. नागराजन	deanacademics@cutn.ac.in
15	संकायाध्यक्ष (अनुसंधान)	प्रो. टी. सेंगदिर	senmat@cutn.ac.in

विभागाध्यक्ष

क्र.सं.	विभागाध्यक्ष के नाम	विभाग	ई-मेल
1	डॉ. वी. विथ्या (प्रभारी अध्यक्ष)	अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान	hodpsychology@cutn.ac.in
2	प्रो. एस. नागराजन	रसायन	hodchemistry@cutn.ac.in
3	डॉ. कविता लूईस	भौतिकी	hodphysics@cutn.ac.in
4	डॉ. वी. रेणुका देवी	गणित	hodmaths@cutn.ac.in
5	डॉ. चंद्र मौलि पीवीएसएसआर	कंप्युटर विज्ञान	hodcs@cutn.ac.in
6	डॉ. सकाते दीपक महादेव	सांख्यिकी एवं अनुप्रयुक्त गणित	hodsam@cutn.ac.in
7	डॉ. बी.जे. गीता	अंग्रेजी अध्ययन	hodenglish@cutn.ac.in
8	डॉ. एन. राजगोपाल	अर्थशास्त्र	hodeconomics@cutn.ac.in

9	डॉ. एस. रवि	तमिल	hodtamil@cutn.ac.in
10	डॉ. सिगामणि पन्नीर	समाज कार्य	hodsocialwork@cutn.ac.in
11	डॉ. पी. राजरत्नम	हिन्दी	hodhindi@cutn.ac.in
12	प्रो. भगबान साहू	इतिहास	hodhistory@cutn.ac.in
13	डॉ. ए. विनोदन	वाणिज्य	hodcommerce@cutn.ac.in
14	डॉ. चंद्रमोहन ए	प्रबंधन	hodmanagement@cutn.ac.in
15	डॉ. अंकति रघु	पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन	hodthm@cutn.ac.in
16	डॉ. जी. रवीन्द्रन	मीडिया एवं संचार	hodmedia@cutn.ac.in
17	डॉ. अखण्डानंद शुक्ला	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	hodlis@cutn.ac.in
18	डॉ. पी. श्रीनिवासन	शिक्षा	hodeducation@cutn.ac.in
19	डॉ. के. सेतुरामन	पदार्थ विज्ञान	hodms@cutn.ac.in
20	डॉ. सुलोचना शेखर	भूगोल	hodgeo@cutn.ac.in
21	डॉ. बालमुरुगन गुरु	भू-विज्ञान	hodgeology@cutn.ac.in
22	डॉ. एस. मणिवण्णन्	बागबानी	hodhorti@cutn.ac.in
23	डॉ. पी. राजगुरु	जैवप्रौद्योगिकी	hodlifesciences@cutn.ac.in
24	डॉ. राम राजसेखरन	सूक्ष्मजीवविज्ञान	hodmbiol@cutn.ac.in
25	डॉ. वी. प्रेमलता	संगीत एवं ललित कला	hodmusic@cutn.ac.in
26	डॉ. नटराजन गोपालन	महामारी विज्ञान एवं जनस्वास्थ्य	hodeph@cutn.ac.in
27	डॉ. बालशण्मुगम एसके (प्रभारी अध्यक्ष)	विधि	hodlaw@cutn.ac.in

केंद्र		
प्रसन्नता केंद्र	प्रो. सिगामणि पी(समन्वयक)	happiness@cutn.ac.in
स्केनमेट	प्रो. पी. रवींद्रन	scanmat@cutn.ac.in

पाठ्यक्रम विवरण

विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस)
अधिगम में एक बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाता है, और छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार विभागों / केंद्रों द्वारा प्रदान किए जा रहे ऐच्छिक पाठ्यक्रम का चयन करने एवं उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा अपेक्षित संख्या से अधिक क्रेडिट अर्जित कर अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की सुविधा प्रदान करता है। सीबीसीएस, भारत या विदेशों के उच्च शिक्षा संस्थानों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों / केंद्रों से अर्जित क्रेडिट के हस्तानांतरण की सुविधा प्रदान करता है ।

सीबीसीएस द्वारा मूल विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के एक भाग को पूरा कर दूसरे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के माध्यम से एक छात्र डिग्री उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक क्रेडिट संख्या एकत्रित करते हुए उस विशिष्ट पाठ्यक्रम की डिग्री प्राप्त करता है । प्रत्येक पाठ्यक्रम को सीखने की सामग्री के आधार पर निश्चित संख्या में क्रेडिट दिए जाते हैं ।

छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट की संख्या उनके द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल को दर्शाती है । सतत् एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन सेमेस्टर के अंत की परीक्षा के वेटेज को कम करता है जिससे छात्र तनावमुक्त होकर सीखने का आनंद ले सकें।

सीबीसीएस सीखने के अवसरों को छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के मेल की योग्यताओं और अपनी शैक्षणिक तथा व्यावसायिक आकांक्षाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।

छात्रों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में अर्जित किए गए ग्रेड पॉइंट्स; उस पाठ्यक्रम में उनकी प्रवीणता को चित्रित करता है। परियोजना एवं परीक्षा सम्मिलित मूल्यांकन निरंतर एवं आंतरिक है। सीबीसीएस सभी पूर्ण-कालिक पाठ्यक्रमों के लिए लागू है, जो तकेंवि के विद्वत परिषद् द्वारा अनुमोदित दो वर्षीय स्नातकोत्तर, पाँच वर्षीय स्नातकोत्तर, एम.टेक, एम.फिल एवं पीएच.डी पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं है।

पाठ्यक्रमों के प्रकार

मूल पाठ्यक्रम: प्रत्येक सेमेस्टर में एक मूल पाठ्यक्रम होगा, जो प्रत्येक छात्रों को उक्त पाठ्यक्रम / संबंधित डिग्री पूर्ण करने के लिए अपेक्षित है। मूल पाठ्यक्रम को किसी अन्य पाठ्यक्रम से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। एक विषय में पेश किए गए एक मूल पाठ्यक्रम को किसी अन्य विषय द्वारा ऐच्छिक के रूप में माना जा सकता है और इसके विपर्येण भी तथा ऐसे ऐच्छिक को सामान्य ऐच्छिक के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।

शोध प्रबंध/परियोजना: परियोजना कार्य/शोध प्रबंध कार्य जैसे विशेष/उन्नत ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक मुख्य पाठ्यक्रम, को छात्रों द्वारा खुद, संकाय सदस्यों द्वारा सलाह लेते हुए करना है।

वास्तविक जीवन की स्थिति/कठिन समस्या के समाधान/विश्लेषण/अन्वेषण में ज्ञान के अनुप्रयोग से संबंधित परियोजना कार्य/शोध प्रबंध दो प्रकार के हो सकते हैं:

- लघु परियोजना कार्य (4-8 क्रेडिट)
- प्रमुख परियोजना कार्य (10-12 क्रेडिट)

ऐच्छिक पाठ्यक्रम: ऐच्छिक पाठ्यक्रम, आम तौर पर एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है जिसे पाठ्यक्रमों में से चुना जा सकता है और यह ये

- अध्ययन के विषय/अनुशासन के लिए बहुत विशिष्ट या उन्नत है।
- अध्ययन के अनुशासन/विषय में सहायक है।
- एक विस्तृत दायरा प्रदान करना है।
- किसी अन्य विषय/अनुशासन/डोमेन के लिए एक्सपोजर को सक्षम करना है।
- छात्रों की दक्षता/कौशल का पोषण करता है।

एक ऐच्छिक पाठ्यक्रम:
अनुशासन विशिष्ट ऐच्छिक अनुशासन (डीएसई) पाठ्यक्रम: अध्ययन के मुख्य क्षेत्र/विषय द्वारा प्रस्तावित ऐच्छिक पाठ्यक्रम।

जेनेरिक इलेक्टिव (जीई)/मुक्त ऐच्छिक पठ्यक्रम: आम तौर पर एक असंबंधित क्षेत्र/विषय से एक ऐच्छिक पाठ्यक्रम, सामान्य दक्षता को जोड़ने / काबिलियत को दिखाने के उद्देश्य से चुना जाता है। एक क्षेत्र/विषय के मूल पाठ्यक्रम को दूसरे क्षेत्र/विषय के ऐच्छिक या उसके विपर्येण के रूप में माना जा सकता है और ऐसे ऐच्छिक पाठ्यक्रम को सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम (एईसी): योग्यता वृद्धि (एई) पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं: क्षमता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी) और कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम (एसईसी)।

योग्यता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम (एईसीसी): ये ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो ज्ञान वृद्धि की सामग्री के आधार पर तैयार किए गए हैं, जैसे पर्यावरण विज्ञान, अंग्रेजी, अन्य भाषाएँ, एमआईएल संचार, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, प्रारंभिक भारत में ज्ञान प्रणाली, भारतीय संगीत आदि, और ये सभी एकीकृत स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य हैं।

कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम (एसईसी): इन पाठ्यक्रमों को मूल्य-आधारित और/या कौशल-आधारित ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रमों में से चुना जा सकता है और इसका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है।

- छात्र अपने फैकल्टी मेंटर और कोर्स इंस्ट्रक्टर की सलाह से ऐच्छिक पाठ्यक्रम के रूप में सीबीसीएस के तहत केंद्र/विभाग/विद्यापीठ द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम का चयन करेंगे।
- डीएसई और/या एसईसी पाठ्यक्रम में असफल होने की स्थिति में छात्र इसे केवल पेरेंट विभाग/केंद्र द्वारा प्रस्तावित समकक्ष पाठ्यक्रम द्वारा प्रतिस्थापित कर सकता है।

- एक सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम में असफल होने की स्थिति में छात्र अपने संकाय सलाहकार और पाठ्यक्रम प्रशिक्षक की सलाह से विद्यापीठ के भीतर या बाहर पेरेंट या किसी अन्य विभाग द्वारा प्रस्तावित समकक्ष पाठ्यक्रम के साथ इसे प्रतिस्थापित कर सकता है।
- एक कथित कार्यक्रम/अध्ययन के अनुशासन में डिग्री की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक छात्र द्वारा एईसीसी का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। एईसीसी को किसी अन्य पाठ्यक्रम से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

मॉड्यूलर कोर्स: ये पाठ्यक्रम विषय / पेपर विशिष्ट हैं और विशेष कार्यक्रम की पेशकश करने वाले विभागों द्वारा डिजाइन किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में अंतिम सेमेस्टर मूल्यांकन का कोई अलग घटक नहीं है। जिन क्षेत्रों में छात्र विशेषज्ञता प्राप्त कर रहा है, उसमें उन्नत विषयों को मॉड्यूलर पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जा सकता है। आम तौर पर ये विषय ऐसे होते हैं जो वर्तमान रुचि के अनुसार होते हैं और इन्हें मुख्य पाठ्यक्रमों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा पाठ्यक्रम: एक छात्र के पास कुछ पाठ्यक्रमों की संपरीक्षा करने का विकल्प होता है; हालांकि, इस तरह के पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड को उसके ग्रेड प्वाइंट औसत की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा।

विस्तार गतिविधि: प्रत्येक 5 वर्षीय एकीकृत पीजी छात्र के लिए निम्न में से किसी एक कार्यक्रम में कम से कम दो साल (4 सेमेस्टर) की अवधि के लिए भाग लेना और अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त करना अनिवार्य है।

1. एनएसएस
2. एनसीसी
3. स्पोर्ट्स क्लब
4. युवा रेड क्रॉस (वाईआरसी)
5. सामुदायिक विकास
6. उन्नत भारत अभियान
7. विश्वविद्यालय में विभाग या विद्यापीठ स्तर पर अन्य सेवा संगठन।

उपरोक्त गतिविधियाँ विश्वविद्यालय के नियमित कार्य घंटों के अलावा आयोजित की जाएंगी।

क्रेडिटों का पाठ्यक्रमवार विभाजन

Programme-wise Distribution of Credits

Scheme for Choice Based Credit System for all PG and PhD Programs

Sl. No	Programme of Study	Core Courses Credits	Elective Courses credits	Total (Minimum credits required for award of the degree)
1	M.A. /M.Sc.	48 to 60	12 to 24	72
2	MSW	106	12	118
3	MBA	59	18	100
4	M. Tech	62-72	12-20	74
5	PhD	6-10	8-6	12

For other courses

Core Course	Ability Enhancement Compulsory Course (AECC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Discipline Specific Elective (DSE)	Total
Scheme for choice based credit system for Integrated Master Programs				
124-132	20	4-8	36-48	196
Scheme for choice based credit system for Under Graduate Programs				
60-70	20	4	26-36	120
Scheme for choice based credit system for BPA (Music) Programs				
70-80	20	0-6	36-46	140

सतत आंतरिक मूल्यांकन का विच्छेद (सीआईए) / सत्रांत परीक्षा

- यूजी और पीजी कार्यक्रम में सभी सैद्धांतिक विषयों में सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए) का अधिकतम 40 और सत्रांत परीक्षा के लिए अधिकतम अंत 60 होगा।

- पीएच.डी कार्यक्रम में सभी विषयों में सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए) का अधिकतम अंक 20 और सत्रांत परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 80 होगा।

कोर प्रयोगशाला पाठ्यक्रम के मामले में, सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए) ही एकमात्र घटक होगा । प्रायोगिक रिकॉर्ड/रिपोर्ट/अवलोकन, उपस्थिति, प्रयोग प्रवीणता और मौखिक परीक्षा, (यदि कोई हो), के लिए अंकों का उचित वितरण संबंधित अध्ययन बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक एवं एकीकृत स्नातकोत्तर / बी.एड, स्नातकोत्तर और पीएच.डी कार्यक्रमों में डिग्री के प्राप्त करने के लिए, एक छात्र को प्रत्येक पाठ्यक्रम के साथ-साथ प्रत्येक शोध प्रबंध/परियोजना प्रतिवेदन/मोनोग्राफ में न्यूनतम 'बी' ग्रेड प्राप्त करना होगा। निबंध/परियोजना रिपोर्ट/मोनोग्राफ सफल उम्मीदवारों के परिणाम निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएंगे:

- 8.0 से 10.0 तक को सीजीपीए — प्रथम, श्रेणी विशेष योग्यता
- 6.5 से 7.9 तक का सीजीपीए — प्रथम श्रेणी
- 5.5 से 6.4 तक का सीजीपीए — द्वितीय श्रेणी
- इन पाठ्यक्रमों में तृतीय श्रेणी नहीं हैं

कार्यक्रम को संतोषजनक ढंग से पूरा करने और डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक छात्र को 5.5 का न्यूनतम सीजीपीए प्राप्त करना होगा। रिकॉर्ड पर "एफ" / "एफए" / "ईए" ग्रेड वाला कोई भी छात्र डिग्री के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा

ग्रेड और ग्रेड अंक

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है। इस प्रणाली के तहत, अंकों को पूर्व निर्धारित अंक अंतराल के आधार पर लेटर ग्रेड में परिवर्तित किया जाता है। भिन्नों के अंकों को निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के अंकों के साथ-साथ लेटर ग्रेड में भी परिलक्षित होता है

For All Under-Graduate, Integrated Masters/ B. Ed., Post-Graduate and Ph.D Programs Programs

Range of Marks in %	Letter Grade	Grade Point	Description
90 to 100	O	10	Outstanding
80 to 89	A+	9	Excellent
70 to 79	A	8	Good
60 to 69	B+	7	Above Average
50 to 59	B	6	Average
Below 50	F	0	Fail
	FA	0	Failure due to lack of attendance
	AE	0	Absent in the End Semester Examination
	AU	None	Audit Course

संपरीक्षा पाठ्यक्रम के लिए लेटर ग्रेड स्थान पर 'संतोषजनक' या 'असंतोषजनक' निर्दिष्ट किया होगा जिसकी गणना एसजीपीए/सीजीपीए में नहीं की जाएगी।

सेमस्टर ग्रेड अंक औसत (एसजीपीए)

एसजीपीए में विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड अंकों के साथ क्रेडिट अंकों को गुणा करके प्राप्त अंकों को विद्यार्थियों द्वारा पूरे पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रेडिट अंकों के जोड़ से विभाजित करना है। अर्थात्

$$\text{एसजीपीए} = \Sigma (Ci \times Gi) / \Sigma Ci$$

जिसमे Ci पाठ्यक्रम में क्रेडिटों की संख्या और Gi विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड अंकों की संख्या हैं।

संचयी ग्रेड अंक औसत (सीजीपीए)

सीजीपीए, विद्यार्थियों द्वारा सभी सेमेस्टर में प्राप्त कुल क्रेडिट अंकों का पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टर के अंकों के साथ विभाजन है। अर्थात्

$$\text{सीजीपीए} = \Sigma (Ci \times Si) / \Sigma Ci$$

जिसमें Si सेमेस्टर का सीजीपीए है और Ci उस सेमेस्टर का कुल क्रेडिट अंक है। एसजीपीए और

सीजीपीए को ग्रेड कार्ड/शीट में लिखने हेतु 2 दशमलव तक राउंड ऑफ किया जा सकता है।

परीक्षा प्रक्रियाएँ:

- छात्रों को सत्रांत परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 75% उपस्थिति देनी होगी और चिकित्सा आधार पर, सेमिनार में भाग लेने आदि के तहत 5% छूट (केवल 5%) की अनुमति दी जाएगी।
- किसी भी पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में 70% से कम उपस्थिति प्राप्त करने वाले छात्रों को उस पाठ्यक्रम के सत्रांत परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे कारण कुछ भी हो।
- किसी भी पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में उपस्थिति का अपेक्षित प्रतिशत दर्ज करने में विफल रहने वाले छात्रों को पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों को पुन: पढना होगा और सत्रांत परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित उपस्थिति मानदंड को पूरा करना होगा।
- अंतिम सत्रांत परीक्षाओं की घोषणा पहली परीक्षा शुरू होने के एक महीने पहले की जाएगी।
- छात्रों को पाठ्यक्रम क्रेडिट शुल्क का भुगतान करना होगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी शामिल है (पाठ्यक्रम क्रेडिट शुल्क जमा करने की घोषणा कक्षाएँ शुरू होने के एक महीने के भीतर की जाएगी।)
- सभी छात्रों को उन पाठ्यक्रमों के लिए सत्रांत सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा जो वे परीक्षा वे देना चाहते हैं।
- ऑनलाइन परीक्षा पंजीकरण।
- प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं
- ऑड सेमेस्टर में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा ऑड सेमेस्टर के अंत में आयोजित की जाएगी और ईवन सेमेस्टर में पेश किए गए पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा केवल ईवेंट सेमेस्टर के अंत में आयोजित की जाएगी।
- सभी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने का अंक 50 है।
- बशर्ते वे सत्रांत परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करें।
- परिणाम सामान्य परिस्थितियों में, संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के दिन से दो सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएँगे।
- रीचेकिंग प्रक्रिया - मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए छात्र पाठ्यक्रम प्रशिक्षक के साथ उत्तर स्क्रिप्ट को देखेंगे।

नि:शुल्क परामर्शीय संपर्क सूत्र

स्नेहम एनहीओ, चेन्नै – 044- 24640050
निम्हेंस, बैंग्लोर - 91 80 26995000
आत्मा अस्पताल, तिरुचिरापल्लि - 9842422121
एमएस चेल्लामुत्तु ट्रस्ट, मदुरै - 93754 93754

छात्रवृत्तियाँ

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्येयतावृत्तियों/प्रशिक्षुता/छात्रवृत्तियों का विवरण, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की छात्रवृत्तियाँ/रियायत, संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण) के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

1. एससी/एसटी छात्रवृत्ति
2. बीएसएनएल छात्रवृत्ति
3. केंद्र सरकार छात्रवृत्ति
4. सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप
5. कॉफी बोर्ड छात्रवृत्ति
6. कंस्ट्रक्शन लेबर संघ छात्रवृत्ति
7. पूर्व सैनिकों (जेसीओ) के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति
8. इंस्पायर छात्रवृत्ति
9. कर्नाटक राज्य सरकार छात्रवृत्ति
10. केरल श्रम कल्याण छात्रवृत्ति
11. श्रम संगठन छात्रवृत्ति
12. योग्यता छात्रवृत्ति
13. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति
14. नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन छात्रवृत्ति
15. इकलौती बेटी को पीजी करने हेतु इंदिरागाँधी छात्रवृत्ति
16. पीएस छात्रवृत्ति
17. यूजीसी के लिए स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति
18. पोस्ट मेरिट छात्रवृत्ति
19. प्रतिभा छात्रवृत्ति
20. सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुवेट अवार्ड स्कॉलरशिप
21. सौराष्ट्रा संघ छात्रवृत्ति
22. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् छात्रवृत्ति (आईसीसीआर) विदेशी छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
23. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना
24. एसटी छात्रवृत्ति तेलंगाना राज्य
25. राज्य सरकार छात्रवृत्ति
26. तेलंगाना राज्य छात्रवृत्ति
27. तंजावुर कोपरेटिव स्कॉलरशिप
28. यूजी-एसटी छात्रवृत्ति
29. एससी कार्पोरेशन-आंध्र प्रदेश
30. तिरुपूर बनियन कंपनी एम्प्लैस यूनियन स्कॉलरशिप
31. तमिलनाडु पुलिस सेंटिनरी स्कॉलरशिप
32. एम.ए तमिल और पीएच.डी छात्रों के लिए सीआईसीटी अध्येयतावृत्ति / छात्रवृत्ति
33. तमिलनाडु कृषि छात्रवृत्ति

(*विश्वविद्यालय भी इसकी सुविधा प्रदान करेगा।)

विशेष प्रकोष्ठ

प्रकोष्ठ का नाम	समन्वयक/नोडल अधिकारी	संपर्क
समान अवसर प्रकोष्ठ (इओसी)	डॉ. टी. जे. अब्राहम	eoc@cutn.ac.in; abraham@cutn.ac.in
उपाचारी अनुशिक्षण प्रकोष्ठ	प्रो. टी. सेंगदिर और डॉ. ए. चंद्रशेखरन	senmat@cutn.ac.in, chandrashekaran@cutn.ac.in
यौनउत्पीड़न विरोध समिति/आंतरिक शिकायत समिति - सीएएसएच / आईसीसी	प्रो. एल.कविता	lkavitha@cutn.ac.in
सेवा प्रकोष्ठ में प्रवेश	डॉ. एम. पोनमुरुगन	ponphy@cutn.ac.in
नेट अनुशिक्षण प्रकोष्ठ	डॉ. के. जयलक्ष्मी	ugcnetcoordinator@cutn.ac.in
ओबीसी प्रकोष्ठ,संपर्क अधिकारी ओबीसी	प्रो. पी. वेलमुरुगन	pvelmurugan@cutn.ac.in
संपर्क अधिकारी,एसी,एसटी,पीडब्लूडी	श्री जी. वेलुमणि	asstlib@cutn.ac.in
भेदभाव विरोधी अधिकारी	डॉ. टी. जे. अब्राहम	abraham@cutn.ac.in
आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आई. क्यू. ए. सी.)	प्रो. वि. मधुरिमा	madhurima@cutn.ac.in
विदेशी छात्रों का सीधा प्रवेश	प्रो. ई. एम शंकर	international@cutn.ac.in
राष्ट्रीय आविष्कार अभियान	डॉ. वी. पी. रमेश	rameshmat@cutn.ac.in
उन्नत भारत अभियान	.डॉ. वेलमुरुगन पी एस	velmurugan@cutn.ac.in
नवोन्मेष संस्थान परिषद्	डॉ. एस. बीर मोहम्मद	hodms@cutn.ac.in
भारतीय विज्ञान,प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का नक्शा (आई-स्टेम)	डॉ. वि. राजेन्द्रन	rajendiran@cutn.ac.in
छात्र नियोजन कार्यालय (एस. पी. ओ.)	डॉ. वेलुमुरूगन पी. एस	velmurugan@cutn.ac.in
मूक्स आईसीटी, तकेंवि	प्रो. वि. मधुरिमा	madhurima@cutn.ac.in
संस्थागत मानव आचार समीक्षा बोर्ड (आई. एच. ई. आर. बी.)	डॉ. मेघनाथन कण्णन्	meganathank@cutn.ac.in
अंतराष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ (अंतराष्ट्रीय प्रवेश)	प्रो. ई. एम. शंकर	international@cutn.ac.in

स्वच्छ भारत अभियान, लिंग संवेदनशीलता प्रकोष्ठ	डॉ.शिवकामी एन	sivakami@cutn.ac.in
परिसर कनेक्ट वाई-फाई परियोजना	डॉ. चंद्र मौलि पीवीएसएसआर	chandramouli@cutn.ac.in

शैक्षणिक कर्मचारी

मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यापीठ

क. रसायन विज्ञान

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277226	प्रो. नागराजन एस	snagarajan@cutn.ac.in
2	आचार्य		प्रो. मोहन दास टी	tmohandas@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. रामकुमार एस. जी (लियन पर)	ramkumar@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. राजेन्द्रन वी	rajendiran@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. विट्ठल बाबू गुडिमेटला	vittalbabu@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. शिव प्रसाद एम	shivaprasad@cutn.ac.in
7	सहायक आचार्य		डॉ. प्रभा वडिवेलु	prabhav@cutn.ac.in
8	सहायक आचार्य		डॉ. जॉन प्रकाश	johnprakash@cutn.ac.in
9	वरिष्ठ तकनीकी सहायक		श्री चंद्रु के	stachemistry@cutn.ac.in
10	तकनीकी सहायक		श्री मिजुन चन्द्रन	techasstchem@cutn.ac.in
11	प्रयोगशाला सहायक		श्री अरुलप्रसाद जे	chemlabasst@cutn.ac.in

12	प्रयोगशाला परिचर		श्री रमेश बाबू के	
13	प्रयोगशाला परिचर		श्री सेमबुलिंगंम	

ख. भौतिक विज्ञान

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277228	प्रो. कविता एल	lkavitha@cutn.ac.in
2	आचार्य		प्रो. रविन्द्रन पी	raviphy@cutn.ac.in
3	आचार्य		प्रो. मधुरिमा वि	madhurima@cutn.ac.in
4	सह- आचार्य		डॉ. के. मोहनराज	mohanrajk@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. पोनमुरुगन एम	ponphy@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. अरुण आर	rarun@cutn.ac.in
7	सहायक आचार्य		डॉ. वेंकट सर्वणन	venketvs@cutn.ac.in
8	सहायक आचार्य		डॉ. चंद्रशेखर के	koppolechandrasekhar@cutn.ac.in
9	सहायक आचार्य		डॉ. निर्भय कुमार बेहरा	nirbhaykumar@cutn.ac.in
10	सहायक आचार्य		डॉ. मलय दलुई	malaydalui@cutn.ac.in
11	सहायक आचार्य		डॉ. सम्पूर्ण आनंद	sampurn@cutn.ac.in
12	वरिष्ठ तकनीकी सहायक		श्री सुल्तान इब्राहिम ए	staphysics@cutn.ac.in
13	प्रयोगशाला परिचर		श्री धनराज आर	phylabasst@cutn.ac.in
14	प्रयोगशाला परिचर		श्री लक्षमनाप्रभु एम	

व्यवहार विज्ञान विद्यापीठ

ग. अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	सहायक आचार्य एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष	04366 277287	डॉ. विद्या वी	vvithya@cutn.ac.in
2	सह- आचार्य		डॉ. माम्मन जोसफ सी	mammanjoseph@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. पादिरी रुत ऐंजियल	ruthangiel@cutn.ac.in

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विद्यापीठ

घ. वाणिज्य

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	सह -आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277250	डॉ. विनोदन ए	vinodan@cutn.ac.in
2	सह -आचार्य		डॉ. वेलमुरुगन पी.एस	velmurugan@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. महालक्ष्मी एस	smahalakshmi@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ.रमेश कुमार एस	srameshkumar@cutn.ac.in

ङ. प्रबंधन

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं	04366 277378	प्रो. चंद्रमोहन ए	acmohan@cutn.ac.in

	विभागाध्यक्ष			
2	सह -आचार्य		डॉ. सुधा जी	sudhasharan@cutn.ac.in
3	सह -आचार्य		डॉ. श्रीनिवास मूर्ति के	sreenivasamurthy@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. अशोक कुमार	ashokkumarj@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ प्रीति आर गोतमारे	preetigotmare@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. विसालक्ष्मी एस	visalakshmi@cutn.ac.in

च. पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	सह -आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277407	डॉ. अंकति रघु	raghu@cutn.ac.in
2	सहायक आचार्य		डॉ. राजा पी	rajaperumal@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. कविता के	kkavitha@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. वैभव भट्ट	vaibhavbhatt@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		श्री श्रीयांश मिश्रा	shreeansh@cutn.ac.in

संचार विद्यापीठ

छ. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल

1	सह -आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277235	प्रो. अखण्डानन्द शुक्ल	akhandanandshukla@cutn.ac.in
2	सह -आचार्य		डॉ. सी. रंगनाथन	ranganathan@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. सुधीर के. जी.	kgsudhier@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. अनिला सुलोचना	anilasulochana@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. टड्डी मुरली	taddimurali@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. धन्यश्री वी के	dhanyasree@cutn.ac.in

ज. मीडिया एवं संचार विभाग

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277306	प्रो. रवीन्द्रन जी	hodmedia@cutn.ac.in
2	सह आचार्य		डॉ. मानस प्रतिम गोस्वामी	mpgoswami@cutn.ac.in
3	सह आचार्य		डॉ. राधा बी	radha@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. फ्रांसिस फिलिप बार्कले	francis@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. निखिल कुमार गौडा	nikhilkumar@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. शामला आर	shamala@cutn.ac.in
7	सहायक आचार्य		डॉ. एन. बूबालकृष्णन	boobalakrishnan@cutn.ac.in

झ. भूगोल

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277338	प्रो. सुलोचना शेखर	sulochana@cutn.ac.in
2	सहायक आचार्य		डॉ. आकृति ग्रोवर	aakriti@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. बालसुब्रमणि के.	geobalas@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. वेंकटेशम ई.	venkatepl@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ अरुण प्रसाद के	arunprasad@cutn.ac.in

ञ. भू-विज्ञान

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष		डॉ. गुरु बालमुरुगन	gurubala@cutn.ac.in
2	सहायक आचार्य		डॉ. अंजली विजयन	anjalivijayan@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. बंकिम चंद्र महंत	bankim.mahanta@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. प्रियंका सिंह राव	priyanka.singhrao@cutn.ac.in

शिक्षण विद्यापीठ

ट. शिक्षा

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277204	प्रो. श्रीनिवासन पी	srinivasanp@cutn.ac.in
2	सह आचार्य		डॉ. भीमप्पा रंगाण्णवर	bhimappa@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. पूर्णिमा राजेन्द्रन	poornimarajendran@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. बिजु के	bijuk@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. प्रमिला रमणी	pramilar@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. सुनील कुमार	sunilkumar@cutn.ac.in
7	प्रयोगशाला सहायक		श्री प्रभाकरण बी	edulabasst@cutn.ac.in

विधि अध्ययन विद्यापीठ

ठ. विधि

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	सहायक आचार्य एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष	04366 277431	डॉ. बालशण्मुगम् एस.के.	balashanmugam@cutn.ac.in
2	सहायक आचार्य		डॉ. संगीता श्रीराम	sangeethasriraam@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. भाग्यलक्ष्मी आर राव	bhagyalakshmi@cutn.ac.in

जीवन विज्ञान विद्यापीठ

ड. महामारी विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277257	प्रो. नटराजन गोपालन	gopalan@cutn.ac.in
2	सहायक आचार्य		डॉ.लेखा डी भट्ट	lekhabhat@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. सुजीत कुमार बेहरा	sujitkumar@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. प्रवीण बालबास्करण नीना (लियन पर)	praveen@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. नीना एलिजाबेथ फिलिप	neenaelezebeth@cutn.ac.in
6	प्रयोगशाला सहायक		डॉ. विमला एस	ephlabasst@cutn.ac.in

ढ. बागबानी

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277486	प्रो. मणिवण्णन एस.	manivannan@cutn.ac.in
2	सह आचार्य		डॉ. रमेश कुमार ए	rameshort@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. रामा कृष्णा के.	ramakrishna@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. सेंतिलकुमार एस.	senthilkumar@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. श्रीविग्नेश एस.	srivignesh@cutn.ac.in

6	सहायक आचार्य		डॉ. मौमिता मालाकार	moumitamalakar@cutn.ac.in

ण. जैवप्रौद्योगिकी

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277400	प्रो. पी. राजगुरु	hodlifesciences@cutn.ac.in
2	आचार्य		प्रो. ई. एम. शंकर	shankarem@cutn.ac.in
3	सह आचार्य		डॉ. जे. राजेश बानु	rajeshbanu@cutn.ac.in
4	सह आचार्य		डॉ. एस . कतिरेसन	kathiresan@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. जयलक्ष्मी के.	jayalakshmi@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. मेघनाथन कण्णन्	meganathank@cutn.ac.in
7	सहायक आचार्य		डॉ. इंद्रानिल चट्टोपाध्याय	indranil@cutn.ac.in
8	सहायक आचार्य		डॉ. दिनकर चल्लाबथुला	dinakarc@cutn.ac.in
9	सहायक आचार्य		डॉ. लक्ष्मीकांदन कालिवर्धन	latchoumycandane@cutn.ac.in
10	सहायक आचार्य		डॉ. पूर्णाचंदर गुगुलोतु	poornachandar@cutn.ac.in
11	प्रयोगशाला सहायक		श्री. नेहरू के	
12	प्रयोगशाला सहायक		सुश्री लता जे	

त. सूक्ष्मजीवविज्ञान

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277207	प्रो. राम राजशेखरन	ram@cutn.ac.in
2	सह आचार्य		डॉ. शिव सुंदर कुमार डीएसएस	d.sivasundarakumar@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. पी. रावणन	ravanan@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. सुचित्रा राकेश	suchitrar@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. कौशिक राजाराम	rkaushik@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. काव्या बक्का	kavyabakka@cutn.ac.in
7	सहायक आचार्य		डॉ. अमित कुमार बझैया	amitkumar@cutn.ac.in
8	प्रयोगशाला परिचर		सुश्री . गौतमी पी	

गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान विद्यापीठ

थ. कंप्यूटर विज्ञान

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277304	डॉ. चंद्रमौलि पी.वी.एस.एस.आर	chandramouli@cutn.ac.in
2	सहायक आचार्य		डॉ. त्यागराजन पी. (लियन पर)	thiyagu@cutn.ac.in

3	सहायक आचार्य		डॉ. नंदिनी के.	nandhinikumaresh@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. सरण्या आर.	saranya@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. मार्टिन ए.	martin@cutn.ac.in

द. गणित

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277412	डॉ. रेणुका देवी	renukadevi@cutn.ac.in
2	आचार्य		प्रो. टी. सेंगदिर	senmat@cutn.ac.in
3	आचार्य		प्रो. आर. रूपकुमार	roopkumarr@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. चंद्रशेखरन ए.	chandrashekaran@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. रमेश वी.पी.	rameshmat@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. बरनी बालन एन.	baranibalan@cutn.ac.in
7	सहायक आचार्य		डॉ. वीरेंद्र कुमार	virendrakumar@cutn.ac.in
8	सहायक आचार्य		डॉ. कवास्कर टी.	t_kavaskar@cutn.ac.in
9	सहायक आचार्य		डॉ. भरणीधर एस.वी.	bharanedhar@cutn.ac.in
10	प्रयोगशाला सहायक		नागराज एम	labasstmaths@cutn.ac.in

ध. सांख्यिकी एवं अनुप्रयुक्त गणित

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल

1	सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष		डॉ. सकाते दीपक महादेव	deepak@cutn.ac.in
2	सहायक आचार्य		डॉ. विजयलक्ष्मी सी	vijayalakshmi@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. जे कोकिला	kokilaj@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. नरसिंहलु दुन्ना	narsimhulu@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. भाबनी शंकर मोहंति	bhabanishankar@cutn.ac.in

प्रदर्शन एवं ललित कला विद्यापीठ

न. संगीत

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277373	डॉ. प्रेमलता वी	premalathav@cutn.ac.in
2	सहायक आचार्य		डॉ.रतीश पि. आर.	ratheeshpr@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. सीतालक्ष्मी	seethalakshmis@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. उदय किरण के. टी.	udayakirankt@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. दिलीप कुमार वी. आर.	dileepkumar@cutn.ac.in

समाज विज्ञान एवं मानविकी विद्यापीठ

न. अर्थशास्त्र

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277200	डॉ. राजगोपाल एन.	rajagopal@cutn.ac.in
2	आचार्य		प्रो. प्रशांत कुमार पांडा (लियन पर)	prasantkumar@cutn.ac.in

3	सह आचार्य		डॉ. दामोदरन के.	damodaran@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. बालामुरुगन पी.	pbalamurugan@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. सुमालता बी.एस.	sumalathabs@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. बालाजी बी.	balajib@cutn.ac.in
7	सहायक आचार्य		डॉ. वेंकटाचलपति टी.के.	venkatachalapathy@cutn.ac.in

प. अंग्रेजी अध्ययन

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277305	डॉ. गीता बी. जे.	geethabj@cutn.ac.in
2	आचार्य		प्रो. सेलवम ए.	aselvam@cutn.ac.in
3	सह आचार्य		डॉ. अब्राहम टी. जे.	abraham@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. इंद्रा जे. ई.	indraje@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. भूपति पी.	pboopathi@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. पुण्या राजेंद्रन	punnyarajendran@cutn.ac.in

फ. हिन्दी

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277500	डॉ. राजरत्नम पी.	rajaretnam@cutn.ac.in
2	आचार्य		प्रो. नारायण राजू एस.वी.एस.एस.	svssnraju@cutn.ac.in

3	सहायक आचार्य		डॉ. आनंद पाटील	anandpatil@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. मधुलिका बेन पटेल	madhulikabp@cutn.ac.in

ब. इतिहास

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277218	प्रो. भगबान साहू	hodhistory@cutn.ac.in
2	सहायक आचार्य		डॉ. तंगपाण्डियन के.	thangapandian@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. प्रांजल गर्ग	pranjal@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. लूइस मुशरी	louismushary@cutn.ac.in

भ. समाज कार्य

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277206	प्रो. सिगामनी. पी	sigamanip@cutn.ac.in
2	सहायक आचार्य		डॉ. उदयकुमार पी	pudhayakumar@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. सिवाकामी एन.	sivakami@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. चित्रा के पी	chitrakp@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. चित्तरंजन सुबुद्धि	chittaranjan@cutn.ac.in

6	तकनीकी सहायक		सुश्री नंदनी एस	techasstsw@cutn.ac.in

म. तमिल

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277308	प्रो. रवि एस	sravi@cutn.ac.in
2	आचार्य		प्रो. वेलमुरुगन पी	pvelmurugan@cutn.ac.in
3	सह आचार्य		डॉ. रमेश जी	rameshg@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. जवाहर के	jawahar@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. कुमार पी	pkumar@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. सुभाष एस	subashs@cutn.ac.in
7	सहायक आचार्य		डॉ. रमेशकुमार वी	rameshkumarv@cutn.ac.in

य. पदार्थ विज्ञान

क्र. सं.	पदनाम	विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय की संपर्क संख्या	संकाय सदस्य का नाम	ई-मेल
1	सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष	04366 277302	डॉ. सेतुरामन के	ksethuraman@cutn.ac.in
2	सह आचार्य		डॉ. बीर मोहम्मद एस	sbmohammed@cutn.ac.in
3	सहायक आचार्य		डॉ. प्रीति मेहर के आर एस	preethimeher@cutn.ac.in
4	सहायक आचार्य		डॉ. श्रीनिवासन संपत	srinivasansampath@cutn.ac.in
5	सहायक आचार्य		डॉ. गुणसेखरन वी	gunasekaran@cutn.ac.in
6	सहायक आचार्य		डॉ. ससांक दलपति	sasanka@cutn.ac.in

7	प्रयोगशाला सहायक		श्री वर्धराजन ई	mslabasst@cutn.ac.in

केंद्रीय पुस्तकालय

विश्वविद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और यह विश्वविद्यालय के छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा में तत्पर है। पुस्तकालय में लगभग 45,000 पुस्तकों का संग्रह है। इनमें से 4,000 से अधिक पुस्तकें संदर्भ पुस्तकें (हैंडबुक, डिक्शनरी, इनसाइक्लोपीडिया, और रंगीन एटलस, आदि) हैं और शेष पाठ्यपुस्तकें और सामान्य पुस्तकें हैं। इसके अलावा, पुस्तकालय में 500 सीडी/डीवीडी भी हैं और इसमें 150 प्रिंट जर्नल हैं। पुस्तकालय शैक्षणिक विभागों और संकाय के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है, और तकेंवि के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए नए कार्यक्रमों के लिए संसाधनों के आवश्यक संग्रह के निर्माण के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है। विश्वविद्यालय के संकाय और शोधार्थियों को पुस्तकालय द्वारा ई-संसाधनों के लिए ई-शोध सिंधु द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रमुख संसाधन, यूजीसी द्वारा वित्त पोषित एक ऑनलाइन जर्नल कंसोर्टियम है। विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई पत्रिकाओं और डेटाबेस को शामिल करने हेतु पुस्तकालय यूजीसी इंफ्लिबनेट के लगातार संपर्क में है। इन ई-संसाधनों का उपयोग अत्यधिक उत्साहजनक रहा है।

पुस्तकालय का स्वचालन

विकास के अपने प्रारंभिक चरणों से ही, पुस्तकालय ने अपनी गतिविधियों को स्वचालित करना शुरू कर दिया। पुस्तकालय ने कोहा को लागू किया जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज है - जो एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली है जो पुस्तकालय के सभी हाउसकीपिंग कार्यों का समर्थन करता है। कोहा दुनिया भर में फैला एक बहुत बड़ा उपयोगकर्ता समुदाय है और इसमें अधिग्रहण, कैटलॉगिंग, परिसंचरण, सीरियल्स और ओपेक पर मॉड्यूल शामिल हैं। पुस्तकालय के पूरे संग्रह को सूचीबद्ध किया गया है और पुस्तकालय में सभी पुस्तक संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस बनाया गया है। नई अधिग्रहीत पुस्तकों के विवरण को इनपुट करके डेटाबेस को दिन-प्रतिदिन के आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। कोहा पैकेज का उपयोग करके सभी पुस्तकालय संरक्षकों (सदस्यों) का एक डेटाबेस भी बनाया गया है। वर्तमान में इस डेटाबेस का संपादन और अद्यतनीकरण प्रगति पर है। पुस्तकें जारी करने, पुस्तकों की वापसी और आरक्षण की संचलन प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया गया है। पुस्तकालय के सभी सदस्यों - छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों के रिकॉर्ड को नई कम्प्यूटरीकृत परिसंचरण प्रणाली में स्थानांतरित किया जा रहा है। पैकेज को अधिग्रहण और कैटलॉगिंग गतिविधियों के लिए भी लागू किया गया है। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर (KOHA) एक बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ एकीकृत है। पुस्तकालय सुविधाओं और सेवाओं की उपलब्धता के लिए उपयोगकर्ता के अपने पहचान पत्र के बजाय बायोमेट्रिक का उपयोग कर सकता है। केंद्रीय पुस्तकालय ने हाल में ही बुक ड्रॉप स्टेशन स्थापित किया है। जिसमें चौबीसों घण्टें रसीद की पावती के साथ पुस्तक वापस की जा सकती है। एसएमएस और ईमेल अलर्ट सेवाएँ भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय पुस्तकालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

सदस्यता

इस संस्थान के सभी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी पुस्तकालय की सदस्यता के हकदार हैं। पुस्तकालय सदस्यता प्रपत्र ऑनलाइन में पुस्तकालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और केन्द्रीय पुस्तकालय के परिसंचरण पटल पर भी उपलब्ध है।

पुस्तक जो परिसंचरण के लिए नहीं है

संदर्भ पुस्तकें, सीरियल पब्लिकेशन्स, आरक्षित पुस्तकें, थीसिस और शोध प्रबंध, सीडी/डीवीडी, लूस इश्यूस एवं पीरियोडिकल्स के बाउंड वॉल्यूम्स।

सेवाएँ

- पुस्तक उधार
- ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग
- संदर्भ सहायता
- ऑनलाइन दस्तावेज़ वितरण
- पाठ्यक्रम सहायता
- क्यूआर कोड सक्षम पहुंच
- ई-संसाधनों तक दूरस्थ पहुंच
- अनुसंधान सहायता
- विषय गाइड

पुस्तकालय की वेबसाइट (http://centrallibrary.cutn.ac.in/)

पुस्तकालय की वेबसाइट ई-पत्रिकाओं, ई-पुस्तकों, ई-थीसिस और शोध प्रबंधों, डेटाबेस, डिजिटल रिपॉजिटरी, खुले शैक्षिक संसाधनों और खोज इंजन जैसे विभिन्न रूपों और प्रकारों में उपलब्ध विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। ये सभी संसाधन शिक्षण, अधिगम और अनुसंधान गतिविधियों का समर्थन करने के लिए विद्वतापूर्ण और उपयोगी हैं।

इंटरनेट एक्सेस सुविधा

सभी सदस्य कैंपस नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। हालाँकि, थोक नकल, व्यवस्थित डाउनलोडिंग या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का उपयोग और अन्य ऐसे उपयोग जो आईपीआर नियमों या देश के अन्य प्रासंगिक नियमों और विनियमों के उल्लंघन में हैं, सख्त वर्जित है। कानून का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रयोक्ता जागरूकता

शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में नए छात्रों के लाभ के लिए संस्थान द्वारा आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम में पुस्तकालय सक्रिय रूप से भाग लेता है। नवागंतुक विद्यार्थियों को पुस्तकालय के परिसर एवं उनके लिए उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और सेवाओं से परिचित किया जाता है। नई वस्तुओं एवं सेवाओं को आरंभ करते समय उससे संबंधित प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। कोई भी उपयोगकर्ता जो पुस्तकालय संसाधनों और सेवाओं के बारे में अधिक जानना चाहता है या ओपेक, ई-जर्नल, डेटाबेस आदि जैसे किसी विशेष संसाधन का उपयोग करना सीखना चाहता है, वह पुस्तकालय के स्टाफ सदस्यों से संपर्क कर सकता/सकती है।

अ.ज / अ.ज.जा छात्रों के लिए बुक बैंक

केंद्रीय पुस्तकालय में समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की सहायता के लिए मुख्य रूप से स्नातक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का एक बुक बैंक है। छात्र इस संग्रह से अधिकतम 2

पुस्तकें एक सेमेस्टर की अवधि के लिए उधार ले सकते हैं।

विशेषताएँ

- ओपेक इंटरनेट पर सुलभ बनाया गया है।
- यूजीसी ई-शोध सिंधु के माध्यम से ई-संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध कराई गई थी: ये ई-संसाधन और ई-पत्रिकाएँ न केवल पुस्तकालय भवन के भीतर बल्कि परिसर के व्यापक इंट्रानेट पर भी उपलब्ध हैं।
- एक संस्थागत भंडार के निर्माण पर काम शुरू किया गया है जो विश्वविद्यालय के संकाय और शोधार्थियों के शोध आउटपुट को प्रदर्शित करेगा।
- देश के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से, तकेंवि पुस्तकालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय पहल का सदस्य बन गया है।
- पुस्तकालय के संसाधन विशिष्ट अनुरोध पर बाहरी लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

श्रेणी	शोधार्थी	आईएमएससी छात्र	स्नातकोत्तर छात्र
पात्रता	06 पुस्तक	04 पुस्तक	04 पुस्तक
ऋण अवधि	28 दिन	14 दिन	14 दिन
नवीकरण	1	1	1

सदस्य:
डॉ. आर. परमेस्वरन् – पुस्तकाध्यक्ष
डॉ. एस. धनवंदन – उप पुस्तकाध्यक्ष
डॉ. जी. वेलुमणि – सहायक पुस्तकाध्यक्ष
डॉ. एम. ई. कल्याणी - सहायक पुस्तकाध्यक्ष
सुश्री. एस. इसेक्कयाम्माल – सूचना वैज्ञानिक
पुस्तकालय का समय:
सोमवार से शुक्रवार – पूर्वाह्न 9 बजे से रात 9 बजे तक
शनिवार – पूर्वाह्न 9.30 बजे से रात 6 बजे तक
रविवार – पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक

पारिचालित समय : (निर्गम / वापसी)
कार्यदिवस – पूर्वाह्न 9.15 बजे से सायंकाल 5.45 बजे तक
शनिवार – पूर्वाह्न 9.45 बजे से सायंकाल 5.45 बजे तक

नोट: केंद्रीय विश्वविद्यालय, तकेंवि 18-12-2022 से रविवार को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक पढ़ने और संदर्भ के लिए खुला रहेगा। हालांकि, परिसंचरण पटल पर किताबें जारी करने या वापस करने की कोई सुविधा नहीं होगी। नतीजतन, रविवार के दिन होनेवाले विश्वविद्यालय के अवकाश के दिन केंद्रीय पुस्तकालय बंद रहेगा।

छात्र कल्याण

विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी छात्र आबादी को पूरा करता है। विश्वविद्यालय, छात्रों को एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के अलावा, उनके समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अवसर भी प्रदान करता है। छात्र कल्याण का कार्यालय छात्रों में व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर, और सुविधाएँ प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालय के छात्रों में विभिन्न प्रतिभाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों वाद-विवाद, चर्चा, निबंध प्रतियोगिताओं, वैज्ञानिक प्रदर्शनियों, लेखन प्रतियोगिताओं जैसे कई गतिविधियों का आयोजन करता है। छात्र कल्याण कार्यालय अपने सीमा के अंतर्गत विविध कार्यो को करते हुए छात्रों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मामलों को देखता है। यह छात्रों को विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का प्रसार करता है।

प्रो. ए. सेल्वम, संकायाध्यक्ष
छात्र कल्याण
deansw@cutn.ac.in
डॉ. जी. सुधा, उप-संकायाध्यक्ष
छात्र कल्याण

छात्र परामर्श

छात्र परामर्श केंद्र विश्वविद्यालय में छात्रों और कर्मचारियों को सहायता और समाधान प्रदान करने वाले एक उपचारात्मक मंच के रूप में कार्य करता है क्योंकि वे उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो उनके भावनात्मक कल्याण और बौद्धिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। केंद्र का मुख्य उद्देश्य छात्र समुदाय और कर्मचारियों के इष्टतम मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास को सुविधाजनक बनाना है, जिससे उनकी मानवीय क्षमता को अधिकतम किया जा सके। केंद्र में पढ़ाई के लिए एकाग्रता और प्रेरणा की कमी है; परीक्षा से संबंधित तनाव; कम उपलब्धि का डर; बाध्यकारी और आदतन शिथिलता; समय प्रबंधन में कठिनाइयाँ; अकेलेपन की तीव्र भावना; समायोजन की समस्याएँ; भावनात्मक हलचल; साथियों का दबाव; रिश्ते से संबंधित समस्याएँ; पारिवारिक समस्याएं; साइबर बदमाशी; व्यवहार संबंधी समस्याएँ; आत्मविश्वास की कमी; आत्म सम्मान की कमी; आत्मघाती विचार; चिंता और मादक द्रव्यों के सेवन। जैसे मुद्दों को संबोधित किया जाता है।

स्थानन केंद्र

तकेंवि का स्थानन केंद्र छात्रों, पूर्व छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ छात्रों को उनकी क्षमताओं और आत्मविश्वास को बढ़ाने में और खुद को एक पुरस्कृत इंटर्नशिप, नौकरी, या भारत/विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन करने या उद्यमी बनने आदि में मदद करता है। स्थानन केंद्र एक व्यविस्थत दृष्टिकोण द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण देते हुए अपनी क्षमता की पहचान कर उसे विकसित करने के साथ-साथ उनकी कमजोरियों पर सुधारता है ताकि तृतीय वर्ष के अंत तक वह अपना कैरियर शुरु करने के लिए खुद को तैयार कर सकें। स्थानन और प्रशिक्षण के अलावा, केंद्र कार्यशालाओं, सम्मेलनों, विशेषज्ञों द्वारा वार्ता, इंटर्नशिप, औद्योगिक यात्राओं जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि छात्रों को समकालीन रुझानों के साथ अप-टू-डेट किया जा सके और स्नातक पूरा करने तक अपने को पूर्ण रूप से तैयार कर सकें।

रैगिंग विरोधी उपाय

विश्वविद्यालय में रैगिंग को रोकने और रोकने के लिए, डीएसडब्लू कार्यालय, रैगिंग विरोधी समिति के साथ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। छात्रों को प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अन्य आवश्यक निर्देश भी इस कार्यालय के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, जो परिसर को शून्य सहनशीलता क्षेत्र बनाते हैं। संपर्क: प्रो. कविता एल; अध्यक्ष, रैगिंग से संबंधित मामलों को अधिसूचित करने की ईमेल आईडी: antiragging@cutn.ac.in; antiraggingsquad@cutn.ac.in

पूर्व छात्र संघ

तकेंवि का पूर्व छात्र संघ, तकेंवि के पूर्व छात्रों को एकजुट करने और उनके साथ तकेंवि के अविस्मरणीय अनुभवों, कार्यक्रमों, विभिन्न आयोजनों आदि को यादगार रखने में उनकी मदद करना है। इस संघ का उद्देश्य तकेंवि के पूर्व छात्रों और अभी के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए नेटवर्क के माध्यम से अल्मा मेटर में जुड़कर संघ के कार्यक्रमो द्वारा इसे आकार देने में मदद करना है। संपर्क: डॉ. वी. राजेंद्रन; समन्वयक, तकेंवि पूर्व छात्र संघ ईमेल: alumni@cutn.ac.in; अधिक जानकारी और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए: http://cutn.ac.in/alumni/

छात्रों की शिकायत निवारण समिति

तकेंवि ने शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक मामलों से संबंधित छात्रों के संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र बनाया है, मूल्यांकन, उत्पीड़न, उपस्थिति, परीक्षा आयोजित करना और सहकर्मियों, छात्रों या शिक्षकों द्वारा उत्पीड़न। समिति के अध्यक्ष: पी. श्रीनिवासन, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग।

रेलवे रियायत

डीएसडब्ल्यू के कार्यालय द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों को रेलवे रियायत प्रदान की जाती है, इस प्रकार उन्हें विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर में घोषित छुट्टियों और छुट्टियों के दौरान अपने गृहनगर की यात्रा करने में सुविधा होती है। शैक्षणिक दौरों, खेलकूद आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए रेलवे की रियायतें भी प्रदान की जाती हैं।

छात्रों के लिए हेल्प डेस्क

डीएसडब्ल्यू कार्यालय की देखरेख में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है ताकि छात्रों को कार्यसमय पर आवश्यक जानकारी और विभिन्न प्रारूपों प्रदान किया जा सके। हेल्प डेस्क विभिन्न प्रश्नों का त्वरित उत्तर देने और छात्रों और उनके अभिभावकों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है।

छात्रों के गतिविधि क्लब

छात्रों की पाठ्येतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निम्नलिखित क्लबों का गठन किया गया है जिसमें छात्र खुद को नामांकित कर सकते हैं। प्रत्येक क्लब की गतिविधियों की निगरानी संबंधित समन्वयकों द्वारा की जाती है:

- प्रश्नोत्तरी एवं वाद-विवाद क्लब
- सांस्कृतिक क्लब - संगीत, नृत्य, चित्रकारी संबंधी
- मूवी क्लब

- खेलकूद क्लब
- होबी क्लब – इलैक्ट्रॉनिक, बागवानी, आदि
- तमिल साहित्यि क्लब
- अंग्रेजी साहित्यि क्लब
- विरासत क्लब; आदि

विद्यार्थियों की सोशल मीडिया नीति -

प्रस्तावना

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय (तकेंवि), सोशल मीडिया द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभों एवं अवसरों से परिचित है। हम, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को आम जनता तक पहुँचाने और विश्वविद्यालय के अनुसंधान तथा सफल कहानियों को ऑनलाइन माध्यम से संप्रेषित करने के लिए, सक्रिय रूप से सोशल मीडिया का प्रयोग करते है। अत: तकेंवि विश्वविद्यालय के छात्रों को सोशल मीडिया चैनलो का प्रभावपूर्ण एवं उचित रूप से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो लंबे समय तक तकेंवि समुदाय के हितलाभ के लिए साधारण लोगों के बीच एक साकारात्मक छवि का निर्माण करें। सोशल मीडिया द्वारा प्रदत्त इन अवसरों में जोखिम भी है। सोशल मीडिया व्यक्तियों को दर्शकों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है और कभी-कभी इसकी अनौपचारिकता हमें संचार तथा बातचीत के अन्य पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने की तुलना में कम सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

यह नीति छात्रों के लिए है और विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से विश्वविद्यालय से संबंधित या जुड़े होने पर सोशल मीडिया के उचित प्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

यह नीति संस्थागत नीतियों और विनियमों के अनुसार काम करती है। सोशल मीडिया में प्रयुक्त होने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अकादमिक स्वतंत्रता के सिद्धांत; हालाँकि विश्वविद्यालय को समय समय पर लागू दिशा-निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय के हित में एक जिम्मेदरार और कानूनी उपयोग की आवश्यकता है।

कार्यक्षेत्र

इस नीति के प्रयोजन के लिए, 'सोशल मीडिया' शब्द का उपयोग समुदाय-आधारित इनपुट, इंटरैक्शन, कंटेंट शेयरिंग और सहयोग के लिए समर्पित चैनलों को वर्णित करने के लिए किया जाता है। फ़ोरम, माइक्रोब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग, सोशल बुकमार्किंग, सोशल क्यूरेशन और विकी को समर्पित वेबसाइट और एप्लिकेशन सोशल मीडिया के विभिन्न प्रकर हैं। वर्तमान में फेसबुक (और मैसेंजर), इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, एलो, ट्विटर, लिंक्डइन, रेडिट, पिंट्रस्ट, और गूगल+, गूगल रिव्यूस, क्योरा शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

यह नीति सार्वजनिक और निजी दोनों मंचों पर किए गए सोशल मीडिया संचार पर लागू होती है। जबकि सार्वजनिक मंचों में जोड़े गए पोस्ट प्रकाशन की तारीख से जनता के किसी भी सदस्य द्वारा देखे जा सकते हैं, छात्रों को यह याद रखने के लिए कहा जाता है कि निजी मंचों में जोड़े गए पोस्ट को अन्य लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से साझा किया जा सकता है। ऐसे कई हाई-प्रोफाइल मामले भी सामने

आए हैं, जहाँ व्हाट्सएप जैसी निजी मैसेजिंग सेवाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद देश भर के छात्रों को अनुशासित किया गया है, जिन्हें कैप्चर कर और बाद में साझा किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए, छात्रों को यह याद रखना चाहिए कि यदि नीति दिशानिर्देशों को सार्वजनिक या निजी तौर पर पूरा करने में विफल होने पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

छात्रों का उत्तरदायित्व
छात्रों को इस बात का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उनकी पहचान दिया गया विवरण या उनके विचार ऑनलाइन में किस प्रकार दिखाई देते हैं और उन्हें इस बात से भी अवगत किया जाता है कि भविष्य के नियोक्ता और उद्योग संपर्क द्वारा उम्मीदवार के चरित्र, व्यक्तित्व या रोजगार का अंदाजा लगाने के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल देख सकते हैं। इसलिए छात्रों को आज ही ऐसे पोस्ट बनाने के प्रति सचेत रहना चाहिए जो भविष्य में किसी भी कारण से उनके लिए बाधा बन सकते हैं।

विश्वविद्यालय छात्रों को अपने मौजूदा सोशल मीडिया खातों को साफ करने और अधिक व्यावसायिक रूप से खाते को शुरू करने का अवसर प्रदान करता है।
सभी छात्रों को इन दिशानिर्देशों के सिद्धांतों को पढ़कर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, और दस्तावेजों के किसी भी मामूली अपडेट के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय के छात्र विनियम वेबपेज (तकेंवि के लिए नया बनाया जाना) की जांच करनी चाहिए।

छात्रों को सोशल मीडिया अकाउंट और/या वेबसाइट पर सामग्री अपलोड करने से पहले उसके नियमों और शर्तों की जांच करनी चाहिए; सोशल मीडिया खातों और/या वेबसाइटों पर सामग्री पोस्ट करने पर, स्वामित्व अधिकार और सामग्री का नियंत्रण जारी किया जा सकता है। इसलिए ये इन सभी सूचनाओं को साझा करने में सावधानी बरतना जरूरी है, विशेष रूप से जहां जानकारी, स्पष्ट रूप से या निहितार्थ या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी तीसरे पक्ष की पहचान करती है।
छात्रों को ऑनलाइन पोस्ट की गई किसी भी चीज़ के संभावित प्रभाव और स्थायित्व के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए, छात्रों को कुछ भी पोस्ट करने से बचना चाहिए जो:

• यह पब्लिक डोमेन में पब्लिक पॉलिसी / पब्लिक डोमेन के विपरीत है।
• पूर्वगामी खंड में धारा 4, 5 और 6 का उल्लंघन करता है।
ऑनलाइन पोस्ट की गई कोई भी डिजिटल सामग्री अपेक्षा से अधिक रूप में अधिकतर दर्शकों तक पहुँच सकती है। विश्वविद्यालय की सोशल मीडिया नीति के अनुसार एक बार डिजिटल सामग्री बनाने और साझा करने के बाद, विश्वविद्यालय को स्थायित्व और दर्शकों का पूरा अधिकार है।

सोशल मीडिया पर व्यवहार एवं आचरण

छात्र सोशल मीडिया पर या उसके माध्यम से जो कुछ भी संवाद करते हैं उसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं और उन्हें इस नीति में निर्धारित मानक व्यवहारों का पालन करना चाहिए।

समाज शिकायत करने हेतु सोशल मीडिया का तेजी से उपयोग कर रहा है। हालांकि, कोई भी छात्र जो शिकायत करना चाहता है, उसे स्थापित छात्र शिकायत प्रक्रिया (कुलानशासक /डीएसडब्ल्यू/छात्र शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से) के माध्यम से शिकायत करना चाहिए। जो समस्या पर प्रतिक्रिया और

समाधान पाने का सबसे तेज़ तरीका है।

सोशल मीडिया का उपयोग अन्य छात्रों या कर्मचारियों के अधिकारों, या गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए नहीं चाहिए और छात्रों को अन्य छात्रों, कर्मचारियों या तीसरे पक्ष के बारे में गलत तरीके से टिप्पणी या निर्णय नहीं करना चाहिए।

निम्नलिखित गैर-विस्तृत सूची को अस्वीकार्य प्रकृति का माना जाता है और इसे कभी भी पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए: गोपनीय जानकारी (जिसमें अनुसंधान शामिल हो सकता है जो अभी तक सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, साथीयों या कर्मचारियों या व्यक्तिगत मामलों के बारे में जानकारी, गैर-सार्वजनिक या अभी तक अस्वीकृत दस्तावेज़ या जानकारी)

शिकायतों/संभावित शिकायतों और/या कानूनी कार्यवाही/संभावित कानूनी कार्यवाही का विवरण शामिल है किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क जानकारी सहित, उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना नकली खातों, दिए गए नामों का उपयोग करके या उनकी सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति के नाम का उपयोग करके पोस्ट की गई चित्र सहित अनुसूचित टिप्पणियां जो कि धमकी देने वाली, परेशान करने वाली, भेदभावपूर्ण, अवैध, अश्लील, मानहानिकारक या किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के प्रति शत्रुतापूर्ण मानी जाती है या हो सकती है कोई अन्य पोस्टिंग जो अपराधी बनाती है, या गठित कर सकती है, कुछ भी जो विश्वविद्यालय को बदनाम कर सकता है या सहयोगियों, पूर्व सहयोगियों, छात्रों, कर्मचारियों और विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों की सुरक्षा या प्रतिष्ठा से समझौता कर सकता है।

अन्य विवरण/सूचना जो समय-समय पर सोशल मीडिया नीति का विषय हो। छात्रों को सावधान रहना चाहिए कि सोशल मीडिया पर ऐसे विवरण जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसमें उनकी प्रतिष्ठा भी शामिल है, या जो चल रही अनुशासनात्मक / कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, वे विवरण देने वाले व्यक्ति के खिलाफ संभावित दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, यह दूसरों द्वारा दिए गए विवरण को साझा करने के लिए विस्तारित हो सकता है।

.

छात्रों को यह भी पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया का संचार भारत सरकार और विश्वविद्यालय के कानूनी ढाँचे के अधीन हैं, जिसका उद्देश्य कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप को रोकना है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। शिकायतकर्ता सहित एक व्यक्ति, मौजूदा या संभावित शिकायतों और/या कानूनी कार्यवाही से संबंधित इमेजरी सहित जानकारी प्रकाशित करके कार्यवाही या प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकता है। हालांकि, छात्रों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा करने से वे विश्वविद्यालय का नाम खराब कर सकते हैं या विश्वविद्यालय समुदाय की सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं। इस प्रकार, उपरोक्त अनुच्छेद 4.4 के अनुसार, इस आचरण को अस्वीकार्य प्रकृति के रूप में देखा जा सकता है।

छात्रों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय यह न बताएं कि उनके विचार तकेंवि के विचार हैं, और न ही विश्वविद्यालय के लोगो का उपयोग करें, जिसे इस विश्वविद्यालय की सोशल मीडिया नीति के तहत अपराध के रूप में गठित किया जाएगा।

साइबर बुलिंग

विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के सदस्यों, छात्रों या हितधारकों द्वारा किसी भी प्रकार की बदमाशी

(साइबर बुलिंग) या उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगा।
निम्नलिखित गैर-विस्तृत सूची सोशल मीडिया के माध्यम से उदाहरण के तौर पर प्रदर्शित व्यवहार के प्रकारों को दर्शाती है, जिसे विश्वविद्यालय साइबर बुलिंग मानता है:
• दुर्भावनापूर्ण, लापरवाही या लापरवाही से एसएमएस, मेल आदि के माध्यम से अफवाहें, झूठ या गपशप फैलाना,
• डराने वाला या आक्रामक व्यवहार, जैसा कि सोशल मीडिया देखने वालों द्वारा माना जाता है;
• आपत्तिजनक या धमकी भरी टिप्पणी या सामग्री, जैसा कि सोशल मीडिया देखने वालों द्वारा माना जाता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है;
• जानबूझकर, या लापरवाही से किसी व्यक्ति को परेशान करने या अपमानित करने की क्षमता के साथ टिप्पणी / फोटो आदि पोस्ट करना, जैसा कि सोशल मीडिया देखने वालों द्वारा माना जाता है। दृश्य सामग्री द्वारा और ऑडियो के माध्यम से मॉर्फिंग / एनिमेशन / फोटो संपादन और अवैयक्तिकता द्वारा पोस्टिंग।

साइबर बुलिंग ईमेल, टेक्स्ट या इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों से भी हो सकती है। उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार न केवल सोशल मीडिया खातों पर सामग्री पोस्ट करना जो उन्हें अनुपयुक्त मानते हैं, बल्कि ऐसी सामग्री को प्रसारित करना पसंद या अग्रेषित करना भी समर्थन के रूप में माना जाएगा और उसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगा।

छात्र द्वारा आधिकारिक विश्वविद्यालय खातों का उपयोग

कुछ छात्र अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में विश्वविद्यालय की आधिकारिक सोशल मीडिया गतिविधियों में योगदान दे सकते हैं, उदाहरण के लिए स्नैपचैट या इंस्टाग्राम अकाउंट पर, लॉगिंग करना, ब्लॉग लिखना या आधिकारिक ट्विटर अकाउंट चलाना। छात्रों को यह ध्यान देना चाहिए कि विश्वविद्यालय की सोशल मीडिया गतिविधियों में अपना योगदान देते समय वे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

आधिकारिक विश्वविद्यालय खातों के दुरुपयोग से निलंबन हो सकता है और अनुशासनात्मक समिति का पालन करने पर निष्कासन हो सकता है; छात्र भविष्य में किसी भी समय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

नीति का उल्लंघन

यदि किसी छात्र को इस नीति का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सोशल मीडिया नीति के ढाँचे के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस नीति का उल्लंघन करने के संदेह में किसी भी व्यक्ति को अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अनुसार किसी भी जांच में सहयोग करने की आवश्यकता होगी। सहयोग न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट या सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने की आवश्यकता हो सकती है जो विश्वविद्यालय द्वारा नीति के उल्लंघन में पाए जाते हैं। इस तरह के अनुरोध का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इस नीति के किसी भी उल्लंघन को तकेंवि छात्र शिकायत प्रक्रिया के अनुरूप रिपोर्ट किया जाना चाहिए। सबसे पहले, किसी भी उल्लंघन को तकेंवि के तकेंवि के कुलसचिव, कुलानुशासक, डीएसडब्लू के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

- तकेंवि किसी भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्देशों का पालन न करना।
- बैठक या सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए अधिकृत तकेंवि अधिकारी से लिखित या

मौखिक संचार का अनुपालन करने में विफलता।

- किसी भी ऐसे आचरण में शामिल होना जो तकेंवि के छात्र के लिए अशोभनीय हो।

निगरानी

सोशल मीडिया नीति समिति (प्रस्तावित) इस नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी, और कोई भी परिवर्तन, कर्मचारियों और छात्रों के लिए प्राप्त है, यह छात्रों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि (उदाहरण के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम द्वारा) सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रहें। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर विश्वविद्यालय के संदर्भों की निगरानी करें और सोशल मीडिया पर छात्र आचरण के संबंध में शिकायतों का जवाब दें। अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करें जहाँ अनुचित व्यवहार प्रदर्शित होता है जो छात्रों, कर्मचारियों, विश्वविद्यालय या जनता के सदस्यों को प्रभावित करता है। समय-समय पर इस नीति की समीक्षा और होने वाले परिवर्तन का अद्यतन करें और विवरण प्रकाशित करें।

अंडरटेकिंग

विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों से निर्धारित प्रारूप में एक अंडरटेकिंग प्राप्त की जाती है एसएमपी का उल्लंघन क्या है और यह किस प्रकार विश्वविद्यालय की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है। इस बात को वह अच्छी तरह समझ गए हैं।

अनुशासनात्मक समिति

एक शिकायत की औपचारिक प्रक्रिया को निम्नलिखित अनुशासनात्मक समिति (डीसी) द्वारा सुना और तय किया जाएगा।

क.	कुलपति द्वारा नामांकित व्यक्ति	अध्यक्ष
ख.	संबंधित संकायाध्यक्ष	सदस्य
ग.	केंद्र/विभाग के संबंधित अध्यक्ष	सदस्य
घ.	कुलसचिव	सचिव
ङ.	डीएसडब्लू	सदस्य
च.	कुलानुशासक	सदस्य

(ड.) उपरोक्त समिति में प्रतिनिधित्व के अभाव में अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व/अल्पसंख्यक के सदस्य जैसे भी स्थिति हो,

शिकायतों को संभालने की प्रक्रिया

तकेंवि का कोई भी हितधारक या अनुशासनात्मक समिति स्वयं एक छात्र द्वारा एसएमपी के कथित उल्लंघन के बारे में सोशल मीडिया नीति समिति को शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसी सभी शिकायतों को एसएमपीसी को अग्रेषित किया जाएगा जो आचरण और अनुशासन के उल्लंघन की गंभीरता का निर्धारण करेगी और अनुशासनात्मक समिति को अपराधी के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश करेगी।

जहाँ आधिकारिक रिकॉर्ड पर कोई अपराध स्पष्ट रूप से स्थापित होता है, अनुशासनात्मक समिति दंडात्मक कार्रवाई करने और इस मुद्दे पर मौजूदा आदेशों/नीतियों के अनुसार छात्र पर लागू दंड की प्रकृति को औपचारिक रूप से संप्रेषित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

औपचारिक प्रक्रिया के मामले में वीसी द्वारा एक डीसी बुलाया जाएगा जो आदेश जारी होने के 48 घंटों के भीतर इकट्ठा होकर, मामले से संबंधित सभी पक्षों को सुनेगा और 14 दिनों के भीतर वीसी को अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। जहाँ डीसी निर्धारित अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो डीसी का अध्यक्ष, वीसी से ऐसे विलंब के लिए पर्याप्त कारण प्रदान करने के बाद वीसी से लिखित में अधिक समय लिया जा सकता है। हालाँकि, इस तरह की देरी अधिकतम चार सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

प्रतिवादी/प्रतिवादियों को एक गोपनीय नोट/ईमेल के माध्यम से अध्यक्ष, डीसी द्वारा जाँच की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा। दी गई समयावधि के भीतर लिखित में जवाब भेजने का अनुरोध करते हुए डीसी विशिष्ट शुल्क वाले चार्जशीट के साथ छात्र की सेवा करेगा। यदि प्रतिवादी/ओं का अभिवचन दोषी नहीं है, तो एक औपचारिक जाँच की जानी चाहिए और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

डीसी के पास तकेंवि के किसी भी संकाय, कर्मचारी और छात्र को बुलाने और किसी भी मामले से संबंधित पूछताछ करने एवं आवश्यक सहायता प्रदान करने का अधिकार है। ऐसा नहीं करने वाला छात्र दंडनीय अपराध का दोषी होगा। छात्र को प्रासंगिक दस्तावेज या उद्धरण प्रदान किए जाएंगे जिनका उपयोग उसके खिलाफ आरोप तय करने के लिए किया गया है।
यदि डीसी को पता चलता है कि कोई अपराध किया गया है, तो वह उसके लिए उपयुक्त दंड की सिफारिश करेगा।
डीसी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद इस तरह के निष्कर्षों और फैसले के कारण बताते हुए अपनी रिपोर्ट वीसी को सौंपेगा। वीसी उपरोक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार करेंगे और छात्र/छात्रों पर लगाए जाने वाले दंड पर निर्णय लेंगे। वीसी के निर्णय से कुलसचिव को अवगत कराया जाएगा।
यदि आवश्यक हो तो डीसी और वीसी द्वारा सजा के मामले में छात्र (छात्रों) को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जा सकता है।

दंड
यदि कोई छात्र एसएमपी के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी:-
12.1 छोटी सजा
12.1.1. मौखिक रूप से डाँटा जाएगा। मौखिक रूप से कदाचार के बारे में सलाह दी जाएगी और आगाह किया जाएगा।
12.1.2. लिखित भर्त्सना। लिखित में कदाचार के बारे में सलाह दी जाएगी और आगाह किया जाएगा।
12.1.3. लिखित चेतावनी। तकेंवि में ठहरने की अवधि के दौरान चेतावनी दी जा सकती है। लिखित रूप में सूचित किया जाएगा कि एसएमपी के किसी भी अनुभाग के उल्लंघन के परिणामस्वरूप और अधिक गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

12.2 प्रमुख दंड
12.2.1 विशेषाधिकार पर प्रतिबंध/निलंबन। कुछ घटनाओं, गतिविधियों, या कक्षा/प्रयोगशाला में भाग

लेने या उपस्थिति को प्रतिबंधित करता है; परिसर से प्राप्त छात्रों के विशेषाधिकारों को प्रतिबंधित करना।

12.2.1.1 छात्रावास विशेषाधिकार

12.2.1.2 प्रयोगशाला की सुविधाओं का उपयोग

12.2.1.3 पुस्तकालय की सुविधाओं का उपयोग

12.2.1.4 जलपान गृह का उपयोग

12. 2.1.5 खेल कूद की सुविधाओं का उपयोग

12.2.1.6 क्लबों एवं अन्य निकायों में सदस्यता

12.2.1.7 स्थानन गतिविधि

12.2.1.8 सह-संस्था के साथ प्रशिक्षता/शैक्षणिक जुड़ाव

12.2.2 क्षति के लिए जुर्माना। छात्र द्वारा किए गए नुकसान के मुआवजे के अलावा उचित जुर्माना भी लगाया जाएगा। विश्वविद्यालय के खिलाफ एसएम आचरण के किसी एक कोड का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कई उल्लंघनों के मामले में, पैनल अन्य दंडों की मंजूरी देने की सिफारिश करेगा।

12.2.3 अनुशासनात्मक परिवीक्षा लिखित अधिसूचना कि एसएमपी के आगे उल्लंघन के परिणामस्वरूप निलंबन हो सकता है। अनुशासनात्मक परिवीक्षा की शर्तें मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित की जाएँगी।

12.2.4 निलंबन:- छात्र को उस सेमेस्टर में किए गए सभी पाठ्यक्रमों से हटा दिया जाएगा और फीस जब्त कर ली जाएगी। अनुशासन समिति द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किए जाने तक छात्र के विश्वविद्यालय परिसर में आने पर रोक लगा दी जाएगी। निलंबन में अपराध की गंभीरता के आधार पर पाठ्यक्रम ड्रॉप, सेमेस्टर ड्रॉप, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासन सम्मिलित हो सकता है। निलंबन की अवधि पूरी होने के बाद छात्र से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर उसे बहाल किया जा सकता है।

12.2.5 निष्कासन:- निष्कासन के समय सभी अधिकारों और डिग्रियों की जब्ती जो वास्तव में प्रदान नहीं किए गए तथा अध्ययन के अधिकार और फीस की जब्ती। अनुशासन समिति द्वारा लिखित रूप में अनुमति जारी होने पर ही छात्र विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

सजा से संबंधित जानकारी

13.1 लघु दण्ड:- छोटी-मोटी सजाओं की सूचना विभागाध्यक्ष/केंद्र और कार्यक्रम प्रशिक्षक, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा दी जाएगी।

13.2 मुख्य सजा:- दंड की सूचना तकेंवि के कुलसचिव, तकेंवि के कार्यालय द्वारा छात्र को लिखित रूप में दी जाएगी। बड़े अपराधो में दोषी पाए गए छात्र को डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र देने के लिए अकादमिक परिषद/कार्यकारी परिषद से सिफारिश नहीं की जा सकती है, भले ही संबंधित छात्र द्वारा सभी शैक्षणिक अपेक्षाओं को संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया हो। छात्र के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड के अनुसार ही कार्रवाई (आचरण प्रमाण पत्र) की जाएगी।

13.3 सभी अनुशासनात्मक कार्यवाही और अंतिम निर्णय और संचार की प्रति रिकॉर्ड के लिए कुलसचिव के कार्यालय, तकेंवि को अग्रेषित की जाएगी।

13.4 अनुशासन रिकॉर्ड राष्ट्र के कानूनों के अनुसार गोपनीय होते हैं और इसलिए छात्र अनुशासन रिकॉर्ड की सामग्री किसी को भी जारी नहीं की जा सकती है, जो छात्र के लिखित अनुमोदन या अदालत के आदेश या सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित आदेश को छोड़कर परिसर अनुशासन से जुड़ा

नहीं है।
13.5 विश्वविद्यालय से निष्कासन या बर्खास्तगी के लिए अनुशंसित छात्र के मामले को आम तौर पर अपने अंतिम निर्णय के लिए अकादमिक परिषद / कार्यकारी परिषद को भेजा जाएगा।

अपीली प्राधिकरण

एक छात्र जो सजा से असंतुष्ट है, वह कुलपति से अपील कर सकता है जो सभी दंडों के लिए अपीलीय प्राधिकारी होगा। छात्र को उचित औचित्य के साथ दो सप्ताह के भीतर अपील करनी चाहिए।
उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर साइबर अपराध/आईटी विभाग के दिशा-निर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं आदि तथा अन्य दंडात्मक प्रावधानों से संबंधित सभी कानून भी लागू होंगे।

अनुलग्नक ए - सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें

सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें तथा अपनी प्रतिष्ठा को प्रबंधित करने और सुरक्षित रखने के सुझाव या संकेत:
हम सभी सोशल मीडिया द्वारा प्राप्त लाभ और अवसरों से परिचित हैं और हम अपने छात्रों को अपने क्षेत्र में नवीनतम समाचारों और अनुसंधानों के साथ संवाद करने और संपर्क में रहने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हैं।
अवसरों के बाद भी कुछ मुश्किले हैं। सोशल मीडिया व्यक्तियों को संभावित रूप से बड़े दर्शकों के साथ संवाद करने की अनुमति देता है, और कभी-कभी इसकी अनौपचारिकता हमें सामान्य रूप से कम सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।
जब आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर विचार कर रहे हों तो ये टिप्स आपकी मदद करेंगी। वे आपकी वृत्तिक विकास को प्रबंधित करने में आपकी मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों और विधि का पालन करें।
याद रखें, आप जो कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं वह सार्वजनिक होता है। एक बार ऑनलाइन में अपलोड़ हो जाने पर यह अपना नियंत्रण खो देता हैं कि दूसरे इससे कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करना (यहाँ तक कि बंद प्रोफाइल या निजी मैसेजिंग सेवाओं, जैसे व्हाट्सएप, उदाहरण के लिए) आपकी जानकारी या सहमति के बिना भी सार्वजनिक होने की क्षमता रखता है।
पोस्ट करने से पहले सोचें। क्या आप इसे अपने परिवार, व्याख्याता या भावी नियोक्ता को दिखाने पर खुश होंगे? यदि नहीं, तो शायद इसे पोस्ट करना एक अच्छा विचार नहीं है। ऐसे कई हाई-प्रोफाइल मामले सामने आए हैं, जहाँ व्हाट्सएप जैसी निजी मैसेजिंग सेवाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद देश भर के छात्रों को अनुशासित किया गया है, जिन्हें बाद में साझा किया गया था।
विचार करें कि आपके संदेशों की सामग्री दूसरों को कैसे दिखाई दे सकती है। आपत्तिजनक सामग्री, जिसमें टेक्स्ट, चित्र और वीडियो शामिल हैं, गंभीर रूप से परेशान कर सकती हैं और आपकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। विचार करें कि दूसरे लोग आपकी सामग्री पर कैसे विचार करते सकते हैं। एक संभावित नियोक्ता सामग्री को किस रूप से देख सकता है? नियोक्ता तेजी से संभावित कर्मचारियों के डिजिटल फुटप्रिंट की जाँच हैं। मंचों के पुराने ट्वीट, पोस्ट और टिप्पणियों को देखकर कर रहे हैं। क्या ऐसी सामग्री साझा करने से आप विश्वविद्यालय और कानून के अपेक्षित मानकों के समक्ष गिर जाएँगे? अगर ऐसा होता है विश्विद्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह मत भूलो, किसी चीज़ को एक बार साझा करने, कॉपी करने या पुनर्वितरित करने के बाद उसे वापस लेना कठिन हो सकता है। आप अपनी ऑनलाइन पहचान को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, यह जानने के लिए हफ़िंगटन पोस्ट का यह लेख पढ़ें कि आपका डिजिटल फ़ुटप्रिंट क्यों मायने रखता है।

अपनी गोपनीयता सेटिंग्स की जाँच करें। अपनी और दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें

जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। सोचे और विचार करें कि आपका पता, टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ईमेल पता कौन-कौन देख सकता है। और, निश्चित रूप से अपने बैंक विवरण ऑनलाइन में साझा न करें। यह भी याद रखें कि जब आप सामग्री को निजी तौर पर (अपनी निजी प्रोफ़ाइल पर या किसी निजी फ़ोरम में) साझा कर रहे हों, तो अन्य लोग उस सामग्री के उपलब्ध होने पर सार्वजनिक मंचों पर साझा कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विवरण प्रकाशित कर सकते हैं। अपने पाठ्यक्रम पर व्यावसायिकता और गोपनीयता के संबंध में अपेक्षाओं से खुद को परिचित करना सुनिश्चित करें, खासकर यदि आपका पाठ्यक्रम एक व्यावसायिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त है। यदि आप किसी व्यावसायिक निकाय की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, तो यह आपकी अध्ययन करने की क्षमता और आपके भविष्य के करियर को प्रभावित कर सकता है। सरों की सामग्री साझा करने से अवगत रहें। क्या आपको सामग्री साझा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है या शिष्टाचार के तौर में आप उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं? पोस्ट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि नियमों का उल्लंघन कॉपीराइट और/या बौद्धिक संपदा कानूनों को तोड़ सकता है।

अंत में आप जो कुछ भी ऑनलाइन पढ़ते हैं उस पर सवाल करें। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वह पूरी तरह सटीक नहीं हो सकता है। यह किसने लिखा? यह कहाँ से आया था? क्या उस चित्र की गुणवत्ता खराब दिखती है? अगर आपको लगता है कि यह गलत है, तो शायद इसे टालना ही बेहतर है। लोगों और संगठनों के बारे में गलत विवरण देना और वितरित करना गैरकानूनी हो सकता है और यह कानूनी कार्रवाई की ओर ले जा सकता है।

छात्रों के लिए आवश्यक शिष्टाचार

- तकेंवि के छात्रों से परिसर के भीतर और बाहर, ईमानदारी, शिष्टाचार, दया, करुणा और जिम्मेदारी के साथ खुद का संचालन करने की अपेक्षा की जाती है।
- तकेंवि के प्रत्येक छात्र से संकाय / कर्मचारियों और साथियों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार, शिक्षकों और अधिकारियों के प्रति सम्मान की अपेक्षा की जाती है।
- प्रत्येक छात्र से कक्षा में, विश्वविद्यालय परिसर में और विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के दौरान आत्म-अनुशासन और आत्म-नियंत्रण बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।
- छात्र विभाग की कक्षाओं और बैठकों तथा विश्वविद्यालय के आम बैठकों में उपस्थित होते समय शांति बनाए रखें।
- विश्वविद्यालय में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में स्व-नियमन काम करें।
- प्रत्येक छात्र कक्षाओं और परिसर को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल रखने का प्रयास करेगा।
- विश्वविद्यालय की संपत्ति का किसी भी प्रकार से नुकसान करना एक गंभीर अपराध है। दीवारों, दरवाजों और फर्नीचर पर लिखना सख्त वर्जित है। किसी भी नुकसान के लिए उल्लंघनकर्ता को भुगतान करना होगा।
- किसी भी प्रकार की रैगिंग वार्जित है। यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार बकाएदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- कोई भी छात्र संस्थान को बदनाम करने या उसके संबंधित कार्य को भीतर से या बाहर से करने वाले कृत्यों में भाग नहीं लेगा।
- कोई भी छात्र जिसका आचरण विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हितों के लिए हानिकारक माना जाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

- प्रत्येक छात्र का यह कर्तव्य है कि वह पैसों, गहनों और इलेक्ट्रॉनिक साधन जैसे अपनी सभी निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
- छात्रों को परिसर के अंदर और बाहर यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सूचना पट्ट

- प्रत्येक छात्र विश्वविद्यालय परिसर के सूचना पट्ट पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा लगाए गए सूचना को पढ़ने के लिए जिम्मेदार होगा। छात्र प्रदर्शित सूचना के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- छात्र, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और प्रतिहस्ताक्षर के बिना विश्वविद्यालय परिसर में कोई नोटिस नहीं लगाएंगे।

मोबाइल फोन का उपयोग

- विश्वविद्यालय परिसर/कक्षा में मोबाइल फोन को साइलेंड मोड़ पर/बंद करके रखें।

ऑनलाइन कक्षा के शिष्टाचार

- सही ढ़ंग के कपड़े पहने: अच्छे से कपड़े पहनें और शिष्ट दिखें। अपने बालों को सही ढंग से रखें।
- अपने आस-पास के वातावरा के प्रति जागरूक रहें: अपने कार्य को इस प्रकार समायोजित करें कि आप खुद को खिड़की या अधिक रोशनी वाले क्षेत्र में रख सकें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके पीछे का वातावरण कार्य करने के अनुकूल हो, शांत वातावरण का चयन करें।
- ऑनलाइन कक्षा के दौरान भोजन या पानी का सेवन न करें।
- याद रखें कि ऑनलाइन में कुछ भी निजी नहीं है: इसलिए लोगों की निजता और उनकी राय का सम्मान करें। यदि आप किसी बात से असहमत हैं तो आदरपूर्वक कहें और अपने सहपाठी के तर्क के मत को स्वीकार करें। यह भी स्वीकार करें कि दूसरों को भी इस मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार हैं।
- दिए गए काम को सावधानीपूर्वक करके समय पर प्रस्तुत करें।
- अनावश्यक लिंक, टिप्पणी, विचार या चित्र को पोस्ट न करें।
- अपने सही नाम एवं ईमेल आईडी से ही लॉग इन करें।
- छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना कैसरा ऑन रखें और माइक को ऑफ करें (जब तक बोलना अपेक्षित न हो)
- किसी भी प्रकार का फिल्मांकन, रिकॉर्डिंग या सामग्री को साझा नहीं करना है। (संकाय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए).
- दी जा रहीं सूचनाओं की रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाना है।
- छात्रों को बिना किसी अनुदेश के स्क्रीन पर टिप्पणी करना मना है। छात्र अपने सवालों एवं शंकाओं का निवारण हाथ उठाकर या चैट बॉक्स पर पोस्ट (लिखकर) कर सकते है। अपने सवाल को पोस्ट करने से पहले यह देख लें कि क्या ये सवाल पहले किसी के द्वारा पूछा गया है और उसका उत्तर प्राप्त हुआ है कि नहीं।

शैक्षणिक कैलेण्डर

तकेंवि के वेबसाइट का लिंक: https://cutn.ac.in/academic-calendar/

तकेंवि का सामुदायिक कॉलेज

तकेंवि में सामुदायिक कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित जरूरतों को पूरा करने हेतु की गई है

(i) कार्यबल में सीधे प्रवेश करने के इच्छुक छात्रों के लिए कैरियर उन्मुख शिक्षा और कौशल
(ii) स्थानीय नियोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम
(iii) पारंपरिक कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए जो तैयार नहीं है, ऐसे माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए उच्च प्रामाणिक उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करते हुए तीन या चार वर्ष के संस्थानों में प्रवेश करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना|
(iv) व्यक्तिगत विकास और रूचि के लिए समुदाय हेतु सामान्य दिलचस्पी रखने वाले पाठ्यक्रम।

- शिक्षार्थी और समुदाय के लिए उच्च शिक्षा प्रासंगिक बनाना।
- उच्च शिक्षा प्रणाली में प्रासंगिक कौशल को एकीकृत करना।
- वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले उन छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना, जो वास्तव में जल्द से जल्द कार्यबल में प्रवेश करने में रुचि रखते हैं।
- सामान्य शिक्षा और / या व्यावसायिक शिक्षा पृष्ठभूमि के साथ, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में उत्तीर्ण हुए छात्रों के लिए आवश्यक सामान्य शिक्षा सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) पर आधारित रोजगार योग्य और प्रमाण पत्र कौशल प्रदान करना।
- उम्र का लिहाज किए बिना शिक्षार्थियों के पारंपरिक / अधिग्रहीत कौशल के उन्नयन और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करना।
- व्यक्तिगत विकास और रूचि पैदा करने के लिए समुदाय में आमतौर पर रूचि बढ़ाने के पाठ्यक्रम को पेश करते हुए समुदाय-आधारित जीवन भर सीखने के अवसर प्रदान करना।
- भविष्य में उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का अवसर प्रदान करना।
- सामान्य / व्यावसायिक शिक्षा के प्रमाण पत्र धारकों को एक सेतु के रूप में ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान करना, ताकि उन्हें उचित एनएसओएफ स्तर के बराबर तैयार किया जा सके।
- स्व-रोजगार और उद्यमिता विकास के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ उद्यमशीलता अभिविन्यास प्रदान करना।

सर्टिफिकेट एवं बी.वी.ओ.सी. शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए यूजीसी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम

1. मूलभूत कंप्यूटर अनुप्रयोग
2. उद्यमिता
3. वित्तीय साक्षरता
4. पक्षीविज्ञान
5. पैरालीगल अध्ययन
6. ग्राफिक एवं वेब डिजाइन
7. वस्तु एवं सेवा कर
8. जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों का उत्पादन
9. आर / पायथन के उपयोग से बिग डाटा एनालिटिक्स
10. सजावटी वनस्पतियों में मूल्य संवर्धन

11. सजावटी बागवानी और आंतरिक दृश्य
12. स्टॉक और कमोडिटी मार्केट ऑपरेशंस
13. डिजिटल पत्रकारिता और मल्टीमीडिया अनुप्रयोग में बी.वोक कार्यक्रम
14. यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन में बी.वोक पाठ्यक्रम
15. बी.कॉम वोकेशनल में बी.वोक पाठ्यक्रम

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें:
डॉ. वेलमुरुगन पीएस
निदेशक
सामुदायिक कॉलेज
तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय
ईमेल आई डी: com_college@cutn.ac.in

ऊष्मायन एवं उद्यमिता विकास केंद्र

ई-सेल बाजार की रणनीतियों, ज्ञान और प्रतिस्पर्धी दुनिया के विचार का प्रबंधन और हेरफेर करने के लिए एक विचार देकर आज के तेजी से बढ़ते तकनीकी कॉलेजों की आवश्यकता को पूरा करता है। यह न केवल उद्यमियों के लिए है बल्कि उन छात्रों के लिए भी एक प्रयास है जो एक बेहतर पेशेवर व्यक्तित्व की इच्छा रखते हैं। इससे छात्रों को उद्यमिता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलेगी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्टार्ट-अप शुरु करने में मदद मिलेगी। ई-सेल पूर्व छात्रों, शिक्षकों और छात्र समिति के सहयोग से काम करता है। इसका उद्देश्य तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच उद्यमिता अभियान को बढ़ावा देना है। हमारे उपर छात्र और पूर्व छात्रों के बीच की कड़ी को व्यापक बनाने के लिए दायित्व है। हमारा काम कैंपस के अंदर और बाहर स्टार्टअप के विकास के लिए होगा।

दूसरी ओर प्रौद्योगिकी ऊष्मायन व्यवसाय नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी और अनुकूल व्यवसायों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करेगा जो उनके स्टार्ट-अप का समर्थन करेगा और उनकी सफलता की संभावना को बढ़ाएगा। प्रस्तावित ऊष्मायन में स्थान, सुविधा, सामान्य कार्यालय उपकरण का साझा उपयोग, प्रत्यक्ष व्यावसायिक सहायता और मार्गदर्शन, सलाह, पूँजी से नेटवर्किंग और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल हैं।

ऊष्मायन व्यवसाय सहायक संसाधनों और सेवाओं की एक सरणी के माध्यम से उद्यमशील कंपनियों के सफल विकास में तेजी लाते हैं। एक ऊष्मायन व्यवसाय का मुख्य लक्ष्य सफल फर्मों का उत्पादन करना है जो कार्यक्रम को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और फ्रीस्टैंडिंग बनाए। ऊष्मायन स्नातक प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करते हैं, रोजगार सृजित करते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करते हैं। ऊष्मायन की परिभाषा के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक सहायता का प्रावधान है जो प्रबंधन मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और युवा, बढ़ती कंपनियों के अनुरूप परामर्श के रूप में आता है। ऊष्मायन में सुविधाएँ और सुविधा-आधारित सेवाएँ भी शामिल हो सकती हैं जो ग्राहकों को उचित किराये की जगह और लचीली पट्टों, साझा व्यापार सेवाओं और उपकरणों, प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं और कंपनी के विकास के लिए आवश्यक वित्तपोषण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं। अंत में, केंद्रीय विश्वविद्यालय ऊष्मायन केंद्र उन लोगों में उद्यमिता का पोषण करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, जो ज्ञान सृजन और सलाह के लिए जुनून रखते हैं, उद्यमशीलता से संचालित संचार को स्वदेशी उद्यम की स्थिरता का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण पहल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

डॉ. जी. सुधा
समन्वयक

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाक, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 14), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 और 2 मई, 2016 को एमएचआरडी की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय (तकेंवि), तिरुवारूर ने लिंग-संवेदनशील मुद्दों को देखने और महिला कर्मचारियों और विश्वविद्यालय की छात्राओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है। जिससे अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सकें।

पहले से ही इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहे मौजूदा निकाय (जैसे यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समिति (सीएएसएच) को तकेंवि के आईसीसी के रूप में पुनर्गठित किया गया है। वर्तमान में, आईसीसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

आई सी सी सदस्यों का विवरण:

नाम एवं पदनाम	पद
प्रो. मालाबिका देव, आचार्य, वाणिज्य विभाग, पांडिचेरी विश्वविद्यालय	पीठासीन अधिकारी
प्रो. आर. रूपकुमार, आचार्य, गणित विभाग, तकेंवि	सदस्य
डॉ. बी. राधा, सह-आचार्य, मीडिया एवं संचार विभाग, तकेंवि	सदस्य
श्रीमती एस प्रेमा, निजी सचिव (मोबाइल सं.. – 9843955131)	सदस्य
श्री एम अब्दुल कादर, सहायक (मोबाइल सं. – 9865551346)	सदस्य
श्रीमती क्रिस्टी जेसूरत्नम, निदेशक एस एन ई एच ए, नागापट्टिनम	एन जी ओ से सदस्य

तकेंवि का आईसीसी

यौन उत्पीड़न के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध; सभी स्तरों के भेदभाव, उत्पीड़न, प्रतिशोध या यौन हमले से मुक्त परिसर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना हम icc@cutn.ac.in पर उपलब्ध हैं।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी)

प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्थान को प्रत्यायनोत्तर गुणवत्ता निर्वाह उपाय के रूप में एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) स्थापित करना चाहिए। चूँकि गुणवत्ता वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है,

इसलिए आईक्यूएसी संस्थान की प्रणाली का एक हिस्सा बन जाएगा और गुणवत्ता वृद्धि और निर्वाह के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काम करेगा। आईक्यूएसी का मुख्य कार्य संस्थानों के समग्र प्रदर्शन में सचेत, सुसंगत और उत्प्रेरक सुधार के लिए एक प्रणाली विकसित करना है। इसके लिए, मान्यता प्राप्त करने की अवधि के दौरान, यह संस्थान के सभी प्रयासों और उपायों को अपनी समग्र शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करेगा।

आईक्यूएसी *के कार्य*

- विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए गुणवत्ता मानकों/पैरामीटरों का विकास और अनुप्रयोग;
- शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के लिए अपेक्षित ज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संकाय परिपक्वता हेतु अनुकूल शिक्षार्थी-केंद्रित वातावरण के निर्माण की सुविधा;
- गुणवत्ता से संबंधित संस्थागत प्रक्रियाओं पर छात्रों, संकायों, अभिभावकों, पूर्व छात्रों और अन्य हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की व्यवस्था;
- उच्च शिक्षा के विभिन्न गुणवत्ता मानकों पर सूचना का प्रसार;
- गुणवत्ता से संबंधित विषयों पर अंतर और अंतर-संस्थागत कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन और गुणवत्ता को बढ़ावा देना;
- तकेंवि के विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों का दस्तावेजीकरण, जिससे गुणवत्ता में सुधार हो;
- गुणवत्ता से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए तकेंवि के एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, जिसमें अच्छी प्रथाओं को अपनाना और प्रसार करना शामिल है;
- संस्थागत गुणवत्ता को बनाए रखने/बढ़ाने के उद्देश्य से एमआईएस के माध्यम से संस्थागत डेटाबेस का विकास और रखरखाव;
- तकेंवि में गुणवत्तापूर्ण संस्कृति का विकास; निर्धारित प्रारूप में संबंधित गुणवत्ता आश्वासन निकाय (जैसे एनएएसी, एनबीए, एबी) द्वारा विकसित गुणवत्ता मापदंडों / मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर विश्वविद्यालय की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (एक्यूएआर) तैयार करना;
- यूजीसी विनियम 2010 की शर्तों के अनुसार, आईक्यूएसी प्रलेखन और रिकॉर्ड-कीपिंग सेल के रूप में कार्य करेगा, जिसमें यूजीसी द्वारा अलग से विकसित संकेतक टेम्पलेट का उपयोग करके एपीआई मानदंड-आधारित प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) प्रोफार्मा के विकास में सहायता शामिल है। प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, सभी शिक्षकों को विधिवत भरे हुए पीबीएएस प्रोफार्मा को आईक्यूएसी को प्रति वर्ष जमा करना होगा।

किसी भी सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए कृपया

दूरभाष: 04366-277370

ईमेल: iqac@cutn.ac.in, office_iqac@cutn.ac.in

आई क्यू ए सी के सदस्यों का विवरण:

नाम एवं पदनाम	पद
प्रो. एम कृष्णन कुलपति	अध्यक्ष

प्रो. वी मधुरिमा प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग	निदेशक / समन्वयक
प्रो. सुलोचना शेखर कुलसचिव (प्रभारी)	प्रशासनिक अधिकारी
श्री ए आर वेंकटकृष्णन संयुक्त कुलसचिव	प्रशासनिक अधिकारी
प्रो. एस वी एस एस नारायण राजू आचार्य, हिंदी विभाग	सदस्य
प्रो. ई एम शंकर आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग	सदस्य
प्रो. ए चंद्र मोहन आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, प्रबंधन विभाग	सदस्य
डॉ. टी जे अब्राहम सह आचार्य, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
डॉ. डी. शिव सुंदर कुमार सह आचार्य, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	सदस्य
डॉ. के दामोदरन सह आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
डॉ. वी विथ्या सहायक आचार्य, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग	सदस्य
डॉ. सुजीत कुमार बेहरा सहायक आचार्य, महामारी विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
डॉ. जे. गोपालाकृष्णन तिरुवारूर	बाह्य सदस्य
प्रो. एस तंगासामी पूर्व कुलपति, तमिलनाडु टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी	बाह्य सदस्य
श्रीमती श्री देवी पीएचडी शोधार्थी, भौतिक विज्ञान विभाग	छात्र सदस्य
श्री मनोज प्रभाकर पूर्व छात्र, पदार्थ विज्ञान विभाग	पूर्व छात्र सदस्य

कुलानुशासक कार्यालय

कुलानुशासक छात्र समुदाय के अनुशासनात्मक माहौल की निगरानी करेगा और परिस्थिति आने पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति रखता है। मुख्यत: कुलानुशासक के कर्तव्यें और जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:-

- छात्रों द्वारा अच्छे आचरण और व्यवस्थित व्यवहार का अनुपालन;
- छात्रों की अनुशासनहीनता के प्रासंगिक मामले;
- सजा से संबंधित मामले

छात्र अनुशासन:

अनुशासन में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अच्छे आचरण और व्यवस्थित व्यवहार का पालन शामिल है। छात्र निम्नलिखित नियमों का पालन करेंगे:

- विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र अनुशासन बनाए रखेगा और सभी स्थानों पर शालीनता से व्यवहार करना अपना कर्तव्य समझेगा;
- कोई भी छात्र विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के लिए प्रतिबंधित (सीमा से बाहर) स्थानों या क्षेत्रों में नहीं जाएगा;
- प्रत्येक छात्र हमेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए, अपने पहचान पत्र को धारण करेगा।
- प्रत्येक छात्र, जिसे पहचान पत्र जारी किया गया है, को विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा या उसे जमा करना होगा।
- कोई भी छात्र प्रतिरूपण या गलत नाम देने का दोषी पाया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा;
- पहचान पत्र के खो जाने पर, जब भी ऐसा होता है, तुरंत सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा;
- यदि कोई छात्र एक या अधिक कक्षाओं में 15 दिनों की अवधि के लिए बिना सूचना के कक्षाओं से लगातार अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसका नाम सूची से काट दिया जाएगा। तथापि, उसे अगले पखवाड़े के भीतर डीन द्वारा निर्धारित पठन शुल्क आदि के भुगतान पर पुनः प्रवेश दिया जा सकता है। उसे निर्धारित अवधि के बाद पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

अनुशासनहीनता में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

- उपस्थिति में अनियमितता, लगातार आलस्य या लापरवाही या सौंपे गए कार्य के प्रति उदासीनता;
- कक्षा या कार्यालय या पुस्तकालय या पेक्षागृह या खेल के मैदान आदि में अशांति पैदा करना; शिक्षकों या अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना;
- परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का कदाचार या दुर्व्यवहार;
- विश्वविद्यालय के शिक्षक या किसी कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी आगंतुक के प्रति किसी भी प्रकार का कदाचार या दुर्व्यवहार;
- विश्वविद्यालय की संपत्ति/उपकरण को नुकसान पहुँचाना, खराब करना या विकृत करना;
- उपरोक्त में से कोई भी कार्य करने के लिए दूसरों को उकसाना;
- छात्रों के बीच भ्रामक बातों या अफवाहों का प्रचार करना;
- छात्रावास के निवासियों द्वारा की गई शरारत, दुर्व्यवहार और/या उपद्र;
- उन स्थानों या क्षेत्रों का दौरा करना जिन्हें छात्रों के लिए प्रतिबंधित 'सीमा से बाहर' घोषित किया गया है;
- विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत न करना;

- विश्वविद्यालय के कुलानुशासक के कर्मचारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने से या उसे सौंपने से इंकार करना;
- जाति वर्ग, धर्म, नस्ल के आधार पर यौन उत्पीड़न, रैगिंग या भेदभाव का कोई भी कार्य और रूप; तथा,
- कहीं भी कोई अन्य आचरण जो छात्र के लिए अशोभनीय माना जाता है।

अनुशासन के उल्लंघन के दोषी पाए गए छात्र (1) जुर्माना; (2) कैंपस प्रतिबंध; (3) निष्कासन; और (4) निलंबन की सजा के पात्र होंगे।

प्रो टी मोहन दास
कुलानुशासक, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय ई-मेल: proctor@cutn.ac.in

स्वस्थ अभ्यास

"स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग" के लिए प्रयास करना एक आदर्श है

विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्रों को स्वस्थ जीवन और शैक्षणिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। उनके द्वारा दिया जाने वाला बहाना यह है कि उनके पास अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है जो अंततः उनके समग्र मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यहां कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनका अभ्यास छात्रों द्वारा शिक्षा के दौरान एक स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।

- आहार-पोषक आहार लें। जंक फूड से बचें और पर्याप्त पानी पिएँ। फल और सलाद का नियमित सेवन करें। शराब, धूम्रपान और बहुत अधिक चीनी से बचें।
- व्यायाम – स्वस्था बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। शारीरिक सहनशक्ति और मनोरंजन के लिए खुद को विभिन्न प्रकार के खेलों में व्यस्त रखें। अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का अभ्यास किया जा सकता है।
- नींद-एक दिन में 6-8 घंटे तक सोने की कोशिश करें। बहुत देर तक सोने से बचें और एक ऐसे समय सारणी पर टिके रहें जिससे आपकी सेहत में सुधार हो। सोने से पहले कैफीन से बचें।
- व्यक्तिगत स्वच्छता - नियमित रूप से स्नान करें। खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। साफ बर्तनों का प्रयोग करें। अपनी चादर को नियमित रूप से साफ करें। बीमार होने पर उचित दवा लें और आराम करें।
- तनाव – कार्य समय सीमित करें और यथार्थवादी बनें। दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश करें। दूसरों से मदद माँगें (मित्र, आचार्य, परामर्शदाता, आदि)। तनाव मुक्त रहने के लिए ध्यान और योग का लाभ उठाएं। शौक के साथ आराम करें।
- मानसिक स्वास्थ्य - अवसाद के लक्षणों को जानें और तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करें और चीजों के बदलने की उम्मीद रखें। अपने दोस्तों और परिवार के संपर्क में रहें। परिसर की गतिविधियों में शामिल हों और कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवक बनें।

परिसर में क्या करें और क्या न करें

क्या करें!

1. नए परिसर में खुद को ढालने का थोड़ा समय दें – शुरुआत में थोड़ा अकेलापन महसूस होना साधारण सी बात है।
2. अपना पहचान पत्र, सभी समय और सभी जगहों पर अपने पास रखें।
3. हमेशा परिसर आपातकालीन संपर्क सूत्र अपने पास रखें।
4. समय के पांबद रहें।
5. सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें। विश्वविद्यालय आपके मानसिक क्षितिज का विस्तार करने का स्थान है।
6. अपने संकाय सदस्यों से मिलकर शंकाओं का निवारण करें।
7. अपने संकाय सलाहकार का परामर्श लें।
8. अपने काम, समय और पैसे के बारे में जिम्मेदार बनें।
9. परिसर छोडते समय अपने स्थान के बारे में विश्वास रखें और जिनसे आप परिख्ति हों, उन्हें सूचित करें।
10. निर्धारित समय पर अपना गृहकार्य/असाइनमेंट्य समय पर पूरा करें।
11. याद रखें कि आप विश्वविद्यालय के शोधार्थी है – अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी लें।
12. चलने के लिए फुट पाथ (सड़क का नहीं) का इस्तेमाल करें।
13. पर्यावरण के प्रति जागरुक रहें- स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का सम्मान करें।
14. दूसरों की निजता का सम्मान करें और परानुभूति व्यक्त करें।.
15. अपनी शिकायतों को उचित माध्यम से उठाएँ ।
16. विभाग से संबंधित मामलों के लिए अपने विद्यार्थी – सलाहकार से बातचीत के पश्चात अपने विभागाध्यक्ष को लिखें।
17. छात्रावास संबंधी मामलों के लिए अपने छात्रावास वार्डन को लिखें।
18. इस मामले में समाधान न निकलने पर, संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण) से संपर्क किया जा सकता है।
19. किसी भी परिस्थिति के अधीन में उचित माध्यम से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिसर के अंदर ही मामलों को सुलझाने की जगह तकेंवि के बाहर की ऐजेंसियों को लिखने के मामले को गंभीरतापूर्वक देखा जाएगा और इसके खिलाफ़ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
20. सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें।
21. पुस्तकालय का उपयोग नियमित रूप से करें।
22. मन और मस्तिष्क दोनों में स्वस्थ रहें।
23. परिसर की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें।
24. सीखें, सीखें और कुछ अधिक सीखें।
25. शैक्षिक उत्कृष्टता हेतु कडी मेहनत करें।
26. अपने परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क में रहें।
27. ग्रेड महत्तवपूर्ण है लेकिन वह ही सब कुछ नहीं है। अगर हार महसूस कर रहें हैं तो अपने सलाहकार से बात करें।

क्या न करें!!

1. देर न करें।
2. स्पीकर्स में गाना (या अन्य आवाज़) न बजाए – फोन स्पीकर्स सहित
3. अपने हेड़फोंस ऑन करके सड़क पर न चलें.
4. साँप को न मारें। यदि कोई साँप दिख जाए तो चुपचाप वहाँ से चले जाएँ और/या आपातकालीन नंबर पर कॉल करना।
5. आधारहीन अफवाहें न फैलाएँ

6. तंबाकू, शराब और/या नशीले / मनोरंजक पदार्थों का उपयोग न करें।
7. हानिकारक / फूट डालने वाली गतिविधियों में शामिल न हो।
8. संकाय सदस्यों/विभागाध्यक्षों/प्रशासन द्वारा प्राधिकृत न किए जाने वाले पोस्टरों/फ्लयर्स को न लगाएँ।
9. परिसर के किसी भी इलाके में रात को अकेले न घूमें।
10. अधिक पैसे/मूल्यवान वस्तुओं को पास न रखें
11. मूल्यवान वस्तुओं को कहीं भी लावारिस न छोड़ें

छात्रावास

छात्रावासों के नाम	पुरुष/महिला	कमरों की संख्या
कुरिंजी	महिला	200- सीटर
मुल्लेय	महिला	450- सीटर
आम्बल	पुरुष एवं महिला	033 कमरें
मरुदम	शोधार्थीगण	105 कमरें
तक्केसी	पुरुष	200- सीटर
पंजामम	पुरुष	450- सीटर
अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास	पुरुष एवं महिला	

डॉ. एन. राजगोपाल - मुख्य वार्डन (लड़कों का छात्रावास) ईमेल: economicsrajagopal@cutn.ac.in
डॉ. जी. सुधा - मुख्य वार्डन (लड़कियों का छात्रावास) ईमेल: managementsudhasharan@cutn.ac.in
डॉ. इंद्रानिल चट्टोपाध्याय - वार्डन (छात्र) ईमेल: indranil@cutn.ac.in
डॉ. विट्ठल बाबू गुड़िमेटला - वार्डन ((छात्र) ईमेल: vittalbabu@cutn.ac.in
डॉ. दिनकर चल्लाबथुला - वार्डन ((छात्र) ईमेल: dinakarc@cutn.ac.in
डॉ. वी. विथ्या - वार्डन (छात्रा) ईमेल: vvithya@vutn.ac.in
डॉ. प्रीति आर गोतमारे - वार्डन (छात्रा) ईमेल: preetigotmare@cutn.ac.in
डॉ. के.आर.एस. प्रीति मेहर - वार्डन (छात्रा) ईमेल: sumalathabs@cutn.ac.in
डॉ. अनिला सुलोचना - वार्डन (छात्रा) ईमेल: anilasulochana@cutn.ac.in

छात्रावास में उपलब्ध सुविधाएँ

व्यायामशाला: छात्र एवं छात्राओं के दोनों के छात्रावास में एक-एक व्यायामशाला है। व्यायामशाला के उपकरणों में वेविंग मशीन, फ्री वेट्स, इम्बल्स, मेडिसिन बॉल्स, फ्री वेट बार्स, बोक्सिंग पंच बैग, स्टेटिक बाइक इत्यादि शामिल हैं।
वायरलेस इंटरनेट सुविधा (वाईफाई): वर्तमान में बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, मैरिड रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल, नॉन-मैरिड रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल में बीएसएनएल इंडिया द्वारा प्रदान की जाने वाली वायरलेस इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हैं। वायरलेस रूटर एक सामान्य स्थान पर स्थापित किया गया है जिससे छात्रावास के सभी छात्र लाभान्वित हो सके।

खेल सुविधाएँ (इनडोर और आउटडोर): छात्रावासों में कैरम बोर्ड और टेबल टेनिस जैसी इनडोर

सुविधाएँ हैं। इनके अलावा शतरंज खेलने के इच्छुक छात्र शतरंज बोर्ड लेकर छात्रावास के अंदर खेल सकते हैं। आउटडोर खेल के लिए स्टोर रूम में क्रिकेट किट, क्रिकेट मैट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, शटल बैडमिंटन रैकेट और कॉर्क उपलब्ध हैं। छात्र रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करके और उनका उपयोग बहुउद्देशीय हॉल या खेल मैदान में कर सकते हैं।

मनोरंजन कक्ष (टीवी कमरा): सभी छात्रावासों में एलसीडी टीवी के साथ प्रत्येक सेट-टॉप बॉक्स उपलब्ध है। जिसमें एयरटेल की एक साल की चैनल सदस्यता है। टीवी रूम के अलावा**,** सभी छात्रावासों में विभिन्न भाषाओं में दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं।

ऑन स्पॉट तकनीशियन (इलेक्ट्रीशियन और प्लंबर): सभी छात्रावासों को बिजली और प्लंबिंग के मुद्दों के लिए चौबीसो घण्टे सेवा सहायता दी जाती है।

सुरक्षा: सभी छात्रावासों को सुरक्षा गार्ड प्रदान किए गए हैं जो शिफ्ट-आधारित कार्य शेड्यूल को बनाए रखते हुए चौबीसों घंटे काम करते हैं। छात्रावास के सभी परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।

जेनरेटर की सुविधा : सभी छात्रावासों में 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध हैं।

पेयजल सुविधा: छात्रों एवं छात्राओं के भोजनालय में ठंडे एवं गर्म पानी की सुविधा के साथ आरओ सिस्टम द्वारा उपलब्ध हैं। डाइनिंग हॉल: छात्रों और छात्राओं के छात्रावासों में डाइनिंग हॉल की सुविधा भी उपलब्ध हैं। प्रत्येक हॉल में एक बार में 150 छात्र बैठ सकते हैं।

* भोजनालय की शुल्क संरचना: भोजनालय का दर प्रति दिन **63.75** रुपये है - नाश्ता-**16,** दोपहर का भोजन -**30,** रात का खाना-**17.75**। **(***परिवर्तन के अधीन**)**
हाउसकीपिंग और रखरखाव: सभी छात्रावासों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरती जाती है। छात्रावास के सभी परिसरों की नियमित रूप से सफाई की जाती है। स्वस्थ रहने और छात्रावास को साफ-सुथरा रखने के लिए कचरे को नियमित रूप से हटाकर उचित तरीके से निपटाया जाता है।
प्रत्येक छात्रावास में रखे गए रजिस्टरों की सूची निम्नलिखित है:

1. आगंतुक पंजिका
2. वार्डन दौरा पंजी
3. रैगिंग – विरोधी स्क्वॉड दौरा पंजी
4. रैगिंग – विरोधी शिकायत पंजी
5. छात्रावास आरओ जल संयंत्र की जाँच पंजी
6. भोजनालय भण्डार पंजी
7. उपस्थिति पंजी (सभी छात्रावासों के लिए)
8. विद्यार्थियों की भोजन संबंधी शिकायत पंजी
9. भोजन जाँच एवं शिकायत पंजी
10. उपस्थिति पंजी
11. छात्रावास कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी
12. छात्रों के इन-आउट पंजी (सुरक्षा द्वारा अनुरक्षित)
13. छात्रों की शिकायत पंजी

छात्रावास के नियमों और विनियमों की मुख्य विशेषताएँ

छात्रावास को "विश्वविद्यालय भवन" के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित छात्रों का निवास स्थान। किसी भी प्रकार की रैगिंग प्रतिबंधित है। रैगिंग के लिए छात्रावास से निष्कासन, परीक्षा से वंचित करने से लेकर प्रवेश रद्द करने तक की सजा का प्रावधान है। रैगिंग को एक गंभीर अपराध माना जाएगा और यूजीसी के वर्तमान नियमों के अनुसार निपटा जाएगा।

- निवासी अपने मेहमानों या आगंतुकों को छात्रावास में कोई अशांति या अन्य उपद्रव पैदा करने की अनुमति नहीं देंगे जो दूसरों की भलाई में हस्तक्षेप करें।
- छात्रावास परिसर में धूम्रपान, पान खाना और इधर-उधर थूकना, शराब और/या नशीली दवाओं का सेवन सख्त वर्जित है।
- निवासियों के पास अपने कब्जे/संग्रह में सिगरेट का पैकेट, शराब और अन्य नशीला/मादक पदार्थ का खाली कंटेनर/बोतल नहीं होना चाहिए।
- निवासियों को छात्रावास/विश्वविद्यालय परिसर में निवासियों को जुआ खेलने की अनुमति नहीं है। निवासियों को छात्रावास परिसर में किसी भी पालतू जानवर को रखने या आवारा जानवरों को खिलाने / देखरेख करने की अनुमति नहीं है।
- संबंधित वार्डन की पूर्व और लिखित सहमति के बिना छात्रावास परिसर में सामाजिक सभा की अनुमति नहीं है।
- क्षेत्र, धर्म, जाति, पंथ, विचारधारा या राजनीतिक दल के आधार पर छात्रावास के निवासियों के किसी भी संघ का गठन करने की अनुमति नहीं है।
- हाथापाई, सामूहिक लड़ाई, धमकी या हिंसा, जान-बूझकर संपत्ति को नुकसान पहुँचना या नशे में व्यवहार जैसे कार्य एक गंभीर अपराध माने जायेंगें।
- बीमारी और दुर्घटना जैसे हर मामले की सूचना तुरंत छात्रावास अधिकारियों को दी जानी चाहिए। संक्रामक रोग से पीड़ित छात्रों को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में मुख्य वार्डन का निर्णय अंतिम होगा। मुख्य वार्डन की अनुमति के बिना छात्रावास परिसर में कोई समारोह या उत्सव आयोजित नहीं किया जाएगा।
- तोड़फोड़ एक गंभीर अपराध है और किसी को भी इस तरह के कृत्य करने या उसका साथ देने पर दोषी पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और / या छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
- सुरक्षा कर्मियों, देखभाल करने वालों और छात्रावास अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करना बर्बरता के बराबर माना जाएगा।
- छात्रावास परिसर के बाहर हिंसा या दुराचार के कार्य में पाए जाने वाले निवासी छात्र छात्रावास या विश्वविद्यालय के अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे मामलों में निवासी छात्र स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
- छात्रावासों के सुचारू संचालन के लिए निवासियों को समय-समय पर कुलपति, कुलसचिव, मुख्य वार्डन और वार्डन द्वारा दिए गए किसी भी निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- छात्रावास परिसर को साफ रखने के लिए निवासी जिम्मेदार हैं। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कमरे, भोजनालय, कॉमन रूम, आगंतुक कक्ष, सीढ़ीयाँ और स्नानघर को हर समय साफ रखें।
- निवास के लिए आवंटित किसी भी कमरे में इमर्शन हीटर, एलपीजी/इलेक्ट्रिक स्टोव/हीटर जैसे बिजली के उपकरणों का उपयोग वर्जित है। कमरे में खाना बनाना, चाय बनाना आदि सख्त वर्जित है।
- छात्र को प्रदान की गई कमरे की चीज़ों को जाँचकर चेक इन/चेक आउट फॉर्म पर पृष्ठांकित करें। किसी भी गुम या क्षतिग्रस्त सामान की सूचना तुरंत छात्रावास प्राधिकरण को दी जानी चाहिए। अन्यथा, यह मान लिया जाएगा कि सभी साधन और फिटिंग अच्छी स्थिति में हैं। इसके

बाद किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- निवासी अपने सामान की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने निजी सामान और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को अपने निजी लॉकर में बंद रखें, भले ही वे थोड़े समय के लिए बाहर हों।
- किसी भी वस्तु के खो जाने या चोरी होने की सूचना शीघ्र ही छात्रावास प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। छात्रावास अधिकारियों किसे पूर्व अनुमति लेने से पहले छात्र द्वारा कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई जाएगी।
- छात्रावास प्राधिकरण छात्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उचित आचरण के हित में छात्रावास में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार रखते हैं। अत: छात्रों को पूर्व सूचित किए बिना ही छात्रों की मौजूदगी एवं गैर मौजूदगी में प्राधिकारियों द्वारा किसी भी समय प्रवेश किया जा सकता है, यदि आपातकालीन, स्वास्थ्य या सुरक्षा परिस्थितियों में ऐसी प्रविष्टि की आवश्यकता होती है या यदि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि कोई पदार्थ, सामग्री या वस्तु है इन नियमों और विनियमों द्वारा कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी तरीके से परिसर में रखा या इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी कोई भी पदार्थ या वस्तु विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त की जा सकती है। इस तरह के निष्कासन की कोई भी आवश्यक लागत निवासी(यों) की जिम्मेदारी होगी जिन्होंने निषिद्ध पदार्थ या वस्तु को पेश किया।
- निवासियों को सुबह 05.00 बजे से पहले और रात में 10.15 बजे के बाद छात्रावास परिसर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश/रात्रि निकास की सूचना वार्डन को अग्रिम रूप से दी जानी चाहिए और अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।
- छात्रावास के निवासी जो सप्ताहांत/त्योहारों/छुट्टियों/स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान या किसी अन्य कारण से घर जाते हैं, उन्हें अपना अवकाश पत्र व्यक्तिगत रूप से छात्रावास कार्यालय में जमा करना चाहिए। यदि छात्रावास कार्यालय में छुट्टी पत्र जमा नहीं किया जाता है तो उपस्थिति पंजिका में उनके नाम के आगे "अनुपस्थित" अंकित किया जाएगा।
- **भोजनालय का समय**:
    - नाश्ता: पूर्वाह्न 07:30 बजे से 08:30 बजे तक
    - दोपहन का भोजन: मध्याहन 12:30 बजे से 02:00 बजे तक
    - रात का भोजन: सायंकाल 07:30 बजे से 08:30 बजे तक
- नोट: भोजनालय का समय परिवर्तनाधीन है।
- छात्रों के लिए प्रत्येक भोजन पर अपने हस्ताक्षर पंजीकृत करने के लिए विश्वविद्यालय या निजी पार्टी या सहकारी समिति द्वारा एक आहार पंजिका बनायी जा सकती है।
- मेस वार्डन की अनुमति से मेस में छूट/कमी का प्रावधान उपलब्ध होगा।
- मेस में छूट/कमी तभी प्रदान की जाएगी जब निवासी स्टेशन/विश्वविद्यालय से बाहर जाता है, जिसके लिए छात्रावास वार्डन/छात्रावास कार्यालय को अवकाश पत्र में जमा करना होता है। निकासी द्वारा मेस में छूट/कमी के लिए आवेदन स्टेशन छोड़ने से कम से कम 24 घंटे पहले व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मेस कमेटी में वार्डन और ब्लॉक से एक प्रतिनिधि या अध्ययन के प्रत्येक वर्ष के एक छात्र मिलकर मेस के सुचारू कामकाज, सफाई और भोजन की गुणवत्ता की देखरेख करते हैं।
- निवासी निम्नलिखित ईमेल आईडी या मोबाइल/टेलीफोन नंबरों के माध्यम से संबंधित वार्डन को अपनी शिकायतों से अवगत करा सकते हैं; के छात्रावास: hosteloffice@cutn.ac.in या 04366-277279; लड़कियों के छात्रावास: ghwarden@cutn.ac.in or 04366- 277278.
- किसी निवासी (यों) को किसी भी प्रकार भी शिकायत को रेसिडेंट वार्डन/वार्डन को भेजना चाहिए, जो शिकायत की प्रकृति के आधार पर यह सुनिश्चित करेगा कि यह उसके द्वारा त्वरित तरीके से संसाधित किया गया है। यदि निवासी/निवासी वार्डन/वार्डन द्वारा की गई कार्रवाई से

संतुष्ट नहीं हैं तो वे विश्वविद्यालय के कुलसचिव/कुलपति के समक्ष इसका प्रतिनिधित्व करने से पहले अपनी शिकायत को मुख्य वार्डन को लिखित रूप में सूचित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

नियमों के उल्लंघन का प्रकार एवं सजा

उल्लंघन का तरीका	सजा
फर्नीचर और फिटिंग का नुकसान	फर्नीचर और फिटिंग की लागत वसूल की जाएगी
तकेंवि की संपत्ति (विद्युत / सिविल / प्लंबिंग फिटिंग, फर्नीचर) को जानबूझकर खराब करने पर।	क्षतिग्रस्त वस्तु की कीमत का दोगुना।
विद्युत शक्ति का अनधिकृत छेड़छाड़	1000/- तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
छात्रावास परिसर के भीतर दुर्व्यवहार जैसे छात्रावास कर्मचारियों को आदेश जारी करना, मेस कर्मचारियों के साथ हस्तक्षेप आदि।	वार्डन/छात्रावास समिति द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के आधार पर एक निर्धारित अवधि के लिए निलंबन
देर से प्रवेश यानि रात 10:15 बजे के बाद संबंधित छात्रावासों में प्रवेश।	एक सेमेस्टर में तीन बार सख्त चेतावनी के साथ संबंधित छात्रावास में अनुमति दी जाएगी और उसके बाद 1500/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने का भुगतान संबंधित छात्र को अपने माता-पिता/अभिभावक के साथ आकर करना होगा। यदि छात्र अपने छात्रावास में पाँचवी बार देर से प्रवेश करते हुए पाया जाता है तो उसे छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।
बैठक बुलाने या जुलूस निकालने आदि की सूचना देना।	वार्डन/छात्रावास प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के आधार पर एक निर्धारित अवधि के लिए निलंबन
अपने छात्रावास के अन्य साथियों को चिल्लाकर शोर करने, देर रात पार्टी/जन्मदिन मनाते हुए आदि से परेशान करना।	वार्डन/छात्रावास समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए निलंबन या छात्रावास से स्थायी निष्कासन
हाथापाई, समूह लड़ाई या धमकाना	तत्काल नोटिस पर छात्रावास से स्थायी निष्कासन
निवासी द्वारा चेकिंग के उद्देश्य से कमरे में आए किसी छात्रावास प्राधिकरण को प्रवेश करने से इनकार करना, आपत्ति करना या बाधा डालना।	तत्काल नोटिस पर छात्रावास से स्थायी निष्कासन
निवासियों को छात्रावास परिसर में खाना पकाने या खाना पकाने के उपकरण जिसमें हीटर, बर्तन, स्टोव आदि शामिल हैं, के साथ पाया जाना	अपने कमरे में खाना पकाने और/या खाना पकाने के उपकरण (उपकरणों) को रखने वाले निवासियों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खाना पकाने के उपकरण छात्रावास प्राधिकरण द्वारा जब्त कर लिए जाएँगे।

वार्डन और/या माता-पिता की पूर्व अनुमति के बिना छात्रावास से अनाधिकृत छुट्टी लेना/छात्रावास से अनुपस्थिति, जैसा भी मामला हो	लिखित/मौखिक चेतावनी जारी की जाएगी और अपने माता-पिता/अभिभावकों को बुलाने के लिए कहा जाएगा।
छात्रावास अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा उत्पन्न करना।	वार्डन/छात्रावास प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए निलंबन।
छात्रावास या विश्वविद्यालय परिसर के भीतर विरोध/ हिंसा को भड़काना	तत्काल नोटिस पर छात्रावास से स्थायी निष्कासन
छात्रावास या विश्वविद्यालय की संपत्तियों को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना या ऐसा कुछ भी करना जिससे ऐसी किसी भी संपत्ति के क्षति पहुँचे।	कार्यवाही की सामान्य वसूली के अतिरिक्त जुर्माना लगाना
अपने साथियों या जूनियर्स की रैगिंग करना	छात्रावास एवं विश्वविद्यालय से स्थायी निष्कासन एवं घटना की सूचना पर आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस में दर्ज करायी जायेगी।
चोरी, अनैतिक कार्य, छात्रावास/मैस स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार, जातिवाद या श्रेणी का प्रसार आदि के किसी भी कार्य में शामिल होना	छात्रावास एवं विश्वविद्यालय से स्थायी निष्कासन एवं घटना की सूचना पर आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस में दर्ज करायी जायेगी
छात्रावास के कमरों को किसी भी रूप में बदलना जैसे पोस्टर चिपकाना, नारे लगाना/ खरोंचना/लिखना, पेंटिंग करना और लिखना आदि।	1000/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या पूरी दीवार/छत/फर्श, जिस पर चित्र/ड्राइंग/लेखन/खरोंच की गई है, के लिए 350 रुपये प्रति वर्ग फुट का भुगतान किया जा सकता है।
खतरनाक हथियार, किसी भी तरह के नशीले पदार्थ, जहरीली चीजें, पटाखे, आग्नेयास्त्र, प्रतिबंधित सामान या उपकरण जो दूसरों को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं	तत्काल नोटिस पर छात्रावास से स्थायी निष्कासन
छात्रावास परिसर के भीतर अवैध और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होना	तत्काल नोटिस पर छात्रावास से स्थायी निष्कासन
एक निजी नौकर या पालतू जानवर को शामिल करना	तत्काल नोटिस पर छात्रावास से स्थायी निष्कासन
पालतू जानवर रखना, आवारा जानवरों को भोजन देना या पालना	तत्काल नोटिस पर छात्रावास से स्थायी निष्कासन
बर्बरता	2000/- रुपये तक का जुर्माना और छात्रावास से निश्चित अवधि के लिए निलंबन उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर दोनों।
पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित अवधि से अधिक	2000/- तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

छात्रावास के कमरे में रहना	छात्रावास समिति द्वारा निष्कासन की सिफारिश की जा सकती है।
मेहमानों को बिना पूर्व सूचना या अनुमति के छात्रावासों में रात भर रहने की अनुमति देना	2000/- तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
बाहरी लोगों को अनाधिकृत आश्रय देना/अवांछित तत्वों को छात्रावास परिसर में आमंत्रित करना	तत्काल नोटिस पर छात्रावास से स्थायी निष्कासन
लड़कियों के छात्रावास में लड़कों का प्रवेश लड़कों के छात्रावास में लड़कियों का।	1000/- तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
अश्लील साहित्य/वीडियो फिल्मों की स्क्रीनिंग/अपने कब्जे में रखना	तत्काल नोटिस पर छात्रावास से स्थायी निष्कासन
वार्डन को पूर्व सूचना के बिना परस्पर कक्ष का विनिमय	2000/- तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
छात्रावास और विश्वविद्यालय परिसर के भीतर मादक / पेय या किसी भी प्रकार के पदार्थ, मादक दवाओं, धूम्रपान, चबाने और थूक का सेवन या सिगरेट, शराब और अन्य नशीला / मादक पदार्थ के खाली कंटेनर / बोतल / पैकेट का कब्जा	तत्काल नोटिस पर छात्रावास से स्थायी निष्कासन
क्षेत्र, जाति या श्रेणी के नाम पर छात्रों के संघ का गठन	तत्काल नोटिस पर छात्रावास से स्थायी निष्कासन

लगाया गया जुर्माना हर एक का है। छात्रावास में रहने की अवधि के दौरान उपरोक्त में से किन्हीं तीन उल्लंघनों के लिए दंडित किए गए निवासियों को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा और सभी आगामी सेमेस्टर / अध्ययन के कार्यक्रम के लिए छात्रावास आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।

छात्रावास के नियमों और विनियमों के लिए:
https://cutn.ac.in/wp-content/uploads/2022/08/Hostel_Rules_and_Regulations_29082022.pdf

तकेंवि का स्वास्थ्य केंद्र

स्वास्थ्य केंद्र और नैदानिक प्रयोगशालाएँ, छात्राओं के 300-सीटों के नये छात्रावास एनेक्सचर, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थित है।

स्वास्थ्य केंद्र निम्नलिखित सुविधाओं से सुसज्जित है

- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग परामर्श कक्ष और अलग-अलग इन-पेंश्न्ट्स कमरे हैं।.
- फार्मेसी अनुभाग जहाँ अधिकांश आवश्यक दवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।.

- मल्टीपारा मॉनिटर, वॉल्यूमेट्रिक इन्फ्यूजन पंप, 12 लीड ईसीजी मशीन, ऑक्सीजन की आपूर्ति, बाइफैसिक डीफिब्रिलेटर, पोर्टेबल सक्शन मशीन आदि के साथ आपातकालीन देखभाल सुविधा।
- सीबीसी, ब्लड ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आदि जैसी नैदानिक प्रयोगशाला सुविधाएं।
- मामूली प्रक्रियाओं जैसे फोड़ा निकालना, चीरा और जल निकासी, लिपोमा हटाने, सिलाई और बाँझ ड्रेसिंग आदि के इलाज के लिए लघु ओटी.
- मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन और अन्य श्वसन जटिलताओं जैसी आपातकालीन स्थितियों के इलाज के लिए आपातकालीन दवाएं।
- आपातकालीन समय के दौरान किसी भी बिजली कटौती से बचने के लिए सभी उपकरण निर्बाध बिजली आपूर्ति से जुड़े हैं।
- उपचार के दौरान परिवेश के तापमान को बनाए रखने के लिए वातानुकूलन सुविधा।

चिकित्सा अधिकारी

डॉ के विष्णु प्रिया
डॉ आर सोमी
डॉ. ढिलिफन राजा एम
डॉ. विग्नेश्वरन के

परिचारिका अधिकारी
श्रीमती आर रेवती
24 घंटे आपातकालीन संपर्क - 0094 4248 8404 | 04366 277566
ईमेल: healthcenter@cutn.ac.in, mo@cutn.ac.in

स्वास्थ्य केंद्र/एम्बुलेंस से संपर्क: 94424 88404 आपात स्थिति के लिए चिकित्सा केंद्र में एम्बुलेंस उपलब्ध है, यदि कोई हो। कार्य समय 24x7.

तकेंवि में खेल-कूद की गतिविधियाँ

खेल-कूद, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को आकार देते हुए छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद करते हैं। यह क्षणभर में ही निरीक्षण, विश्लेषण और न्याय करने की क्षमता को तेज करने में मदद करता है। टीम आयोजनों द्वारा टीम भावना, सहयोगात्मक कार्य और समन्वय जैसे महत्वपूर्ण गुण सीखें जा सकते हैं। ये सभी सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में आत्मविश्वास और निडरता का विकास करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। खेल-कूद की महत्वपूर्ण भूमिका बुनियादी ढाँचे का निर्माण और व्यापक खेलों के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ दक्षिण क्षेत्रीय अंतरविश्वविद्यालय टूर्नामेंट और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए है। उन्नत बुनियादी ढाँचों, उपकरण और वैज्ञानिक सहायता की बढती माँग को ध्यान में रखते हुए, खेल ने कई पहल की हैं, और खिलाडियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए वैज्ञानिक और उपकरण की सहायता के साथ प्रशिक्षण और साथ-साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए नकद पुरस्कार आदि प्रदान कर रहा है।

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, छात्रों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खेल-कूद की सुविधाओं से सुसज्जित है और छात्र समुदाय के हितलाभ के लिए बुनियादी ढाँचों को विकसित करने में सक्रिय है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक जैसे ईवेंट के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बहु-उद्देशीय कक्ष में टेबिल टेनिस, शटल बैडमिंटन, चेस के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इंडोर सुविधाएँ उपलब्ध है। छात्र नियमित रूप से इंटरामूरल और एक्स्ट्रामूरल प्रतियोगिताओं में भाग लेते है। खेल और ऐथ्लेटिक्स ईवेंट से संबंधित प्रशिक्षण उपकरण खेल कार्यालय में उपलब्ध हैं।

मल्टी स्पोर्ट्स कौम्प्लेक्स में वॉलिबॉल कोर्ट-2, बास्केट बॉल-2, टेनिकोइट कोर्ट-1, लॉन टेन्निस-1, एथलेटिक का मानक ट्रेक 400 मीटर, क्रिकेट का मैदान और इंडोर खेल बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस शामिल हैं। खेल की अन्य सुविधाएँ परिसर में शीघ्र ही प्रदान की जाएँगीं। स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय में एक शारीरिक फिटनेस सेंटर संचालित किया गया है। छात्र और संकाय सदस्य नियमित रूप से ही खेल विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय की जिम सुविधाओं का उपयोग करते हैं। लडकों और लडकियों के लिए अलग-अलग जिम की सुविधा उपलब्ध है। व्यायाम के लिए आवश्यक सभी उपकरण केंद्र में उपलब्ध है।

खेल-कूद के समन्वयक

डॉ. दिनकर चल्लाबथुला, सहायक आचार्य, जैवप्रौद्योगिकी विभाग

विश्वविद्यालय का अतिथि गृह

तकेंवि का अतिथि गृह तकेंवि के आवासीय परिसर में कुलपति निवास के सम्मुख स्थित है। तकेंवि आवासीय परिसर तिरुवारूर-मैलाडुथुरै हाईवेरोड से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राथमिक रूप से ये अतिथि गृह, तकेंवि के अतिथि अधिकारियों, चयन समिति, पाठ्य समिति के सदस्यों, परीक्षकों, पीएच.डी की मौखिक परीक्षा और अन्य कक्षाओं के विशेषज्ञों, अतिथि संकायों और भाषाविद्, विश्वविद्यालय, केंद्रों और विभागों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / परिसंवादों / सम्मेलनों / प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित प्रतिभागियों और समय-समय पर तकेंवि के संकाय सदस्यों और गैर-शैक्षिक सदस्यों के अतिथियों, छात्रों के माता-पिता / अभिभावकों के लिए उपलब्ध है।

अभी, अतिथियों के लिए अतिथि गृह आवास दो अलग-अलग ब्लॉक में प्रदान किया जा रहा है जिसके प्रत्येक ब्लॉक में 3 बेडरूम हैं। प्रत्येक अतिथि गृह ब्लॉक में सामान्य कक्ष, रसोई घर, भोजनकक्ष और अलग से वाहन पार्क करने हेतु शेड है। हालाँकि नाश्ता, भोजन, रात्रिभोज (डिनर) केवल मुख्य ब्लॉक में ही दिया जाता है। प्रत्येक कमरे में दो बेड (बिस्तरें) एक एलसीडी टीवी, एसी और अन्य बुनियादी फर्नीचरों से सुसज्जित है। अतिथिगृह सुरक्षित और स्वच्छ परिवेश प्रदान करता है व्यावसायिक तथा सहायक कर्मचारियों द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। जो हर समय हमारे मेहमानो / अतिथियों के लिए उपस्थित है। रुफ गार्डन और वाई-फाई की व्यवस्था भी की गई है।

अतिथि गृह (प्रभारी)
डॉ. अंकति रघु
सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन विभाग
ईमेल: guesthouse@cutn.ac.in
दूरभाष (कार्यालय): 9442488408

तकेंवि बस का समय

समय	बस 1	बस 2	बस 3
8.30 पूर्वाह्न	कंगलांचेरी	-	-
9.00 पूर्वाह्न	एमपी हॉल के रास्ते शटल	-	शटल
9.30 पूर्वाह्न	शटल	एमपी हॉल के रास्ते कंगलांचेरी	-
10.00 पूर्वाह्न	-	शटल	शटल
10.30 पूर्वाह्न	शटल	-	-
11.00 पूर्वाह्न	-	शटल	-
11.30 पूर्वाह्न	-	-	शटल
12.00 अपराह्न	शटल	-	-
12.30 अपराह्न	-	शटल	-
1.00 अपराह्न	शटल	-	शटल
1.30 अपराह्न	शटल	शटल	-
2.00 अपराह्न	-	शटल	शटल
2.30 अपराह्न	शटल	-	शटल
3.00 अपराह्न	-	शटल	-
3.30 अपराह्न	शटल	-	-
4.00 अपराह्न	शटल	-	कंगलांचेरी
4.30 अपराह्न	-	शटल	-
5.00 अपराह्न	शटल	-	कंगलांचेरी
5.30 अपराह्न	-	-	कंगलांचेरी

शनिवार/रविवार यात्राएँ

मार्ग: तकेंवि का प्रवेश द्वार – कंगलांचेरी - सेंतमंगलम - नॉर्थ स्ट्रीट – पुराना बस स्टैंड - रेलवे स्टेशन

से (पिक अप)	समय	तक (ड्रॉप)	समय
तकेंवि का प्रवेश द्वार	10.00 पूर्वाह्न	तिरुवारूर बस स्टैंड	10.30 पूर्वाह्न
तकेंवि का प्रवेश द्वार	12.00 अपराह्न	तिरुवारूर बस स्टैंड	12.30 अपराह्न
तकेंवि का प्रवेश द्वार	2.00 अपराह्न	तिरुवारूर बस स्टैंड	2.30 अपराह्न
तकेंवि का प्रवेश द्वार	4.30 अपराह्न	तिरुवारूर बस स्टैंड	5.00 अपराह्न

मार्ग: रेलवे स्टेशन – पुराना बस स्टैंड - नॉर्थ स्ट्रीट – सेंतमंगलम – कंगलांचेरी - तकेंवि का प्रवेश द्वार

से (पिक अप)	समय	तक (ड्रॉप)	समय
तिरुवारूर बस स्टैंड	11.00 पूर्वाह्न	तकेंवि का प्रवेश द्वार	11.30 पूर्वाह्न

तिरुवारूर बस स्टैंड	3.00 अपराह्न	तकेंवि का प्रवेश द्वार	3.30 अपराह्न
तिरुवारूर बस स्टैंड	5.30 अपराह्न	तकेंवि का प्रवेश द्वार	6.00 अपराह्न

शटल यात्रा मार्ग:
एनएलबीएस-प्रशासनिक ब्लॉक-फ्लैग राउंडअबाउट-प्रवेश द्वार- फ्लैग राउंडअबाउट- एमपी हॉल – ओजीएच (जंक्शन) – एनजीएच (जंक्शन) – खेल सुविधाएं केंद्र – ओबीजी (जंक्शन) – एमआरएसएच – एनएमआरएसएच-एनबीएच (जंक्शन) – एनएलबीएस – प्रशासनिक ब्लॉक
* यदि छात्रों के लिए कोई विशेष यात्रा आयोजित की जाती है/आस-पास के स्थानों की यात्रा/रखरखाव किया जाता है तो उस विशेष स्लॉट के लिए शटल यात्रा बाधित हो सकती है।
नोट:

1. बस संबंधित जगह पर ही रूकेगी। निर्धारित समय को बनाए रखने के लिए, स्टॉप के अलावा बीच में रुकने की अनुमति नहीं है।
2. शटल यात्रा में छात्रों की संख्या केवल 33 तक सीमित है; छात्रों को विश्वविद्यालय के अनुशासन को बनाए रखने की जरूरत है।
3. उपर्युक्त बस के समय को आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।
4. शाम को कंगलांचेरी तक की यात्रा केवल बाहर रहने वाले शोधार्थियों के लिए है।
5. छात्र इस शटल सेवा की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।
6. हमेशा अंतिम शटल सेवा में अधिक छात्र भरे होते हैं। इसलिए, छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अंतिम शटनल की प्रतिक्षा न करें।

निजी एवं सरकारी बस का समय:

तकेंवि के रास्ते से निजी बस का आवागमन:

- पूर्वाह्न 9:00 बजे तिरुवारूर से एट्टायलूर (तकेंवि में पहुँचने का समय लगभग पूर्वाह्न 9:20 बजे)
- पूर्वाह्न 9:35 बजे एट्टायलूर से तिरुवारूर ((तकेंवि में पहुँचने का समय लगभग पूर्वाह्न 9.50 बजे)
- पूर्वाह्न 10:30 बजे तिरुवारूर से एट्टायलूर (तकेंवि में पहुँचने का समय लगभग पूर्वाह्न 11:10 बजे)
- पूर्वाह्न 11:25 बजे एट्टायलूर से तिरुवारूर (तकेंवि में पहुँचने का समय लगभग पूर्वाह्न 11:45 बजे)
- अपराहन 1:00 बजे तिरुवारूर से एट्टायलूर (तकेंवि में पहुँचने का समय लगभग अपराहन 1:30 बजे)
- अपराहन 1:50 बजे एट्टायलूर से तिरुवारूर (तकेंवि में पहुँचने का समय लगभग अपराहन 2:15 बजे)
- अपराहन 3:45 बजे तिरुवारूर से एट्टायलूर (तकेंवि में पहुँचने का समय लगभग अपराहन 4:15 बजे)
- अपराहन 4:45 बजे एट्टायलूर से तिरुवारूर (तकेंवि में पहुँचने का समय लगभग अपराहन 5:15 बजे)
- अपराहन 5:30 बजे तिरुवारूर से एट्टायलूर (तकेंवि में पहुँचने का समय लगभग अपराहन 6:00 बजे)
- अपराहन 6:15 बजे एट्टायलूर से तिरुवारूर (तकेंवि में पहुँचने का समय लगभग अपराहन 6:25 बजे)
- अपराहन 8:00 बजे तिरुवारूर से एट्टायलूर (तकेंवि में पहुँचने का समय लगभग अपराहन 8:30 बजे)

तकेंवि के कर्मचारी आवास के रास्ते से सरकारी बस का आवागमन:

- नन्नीलम से कर्मचारी आवास के रास्ते (पूर्वाह्न 6:30) तिरुवारूर बस अड्डे तक
- तिरुवारूर से कर्मचारी आवास के रास्ते (पूर्वाह्न 7:45) नन्नीलम तक बस अड्डे तक
- नन्नीलम से कर्मचारी आवास के रास्ते (पूर्वाह्न 8:30) तिरुवारूर बस अड्डे तक
- तिरुवारूर से कर्मचारी आवास के रास्ते (पूर्वाह्न 10:30) नन्नीलम बस अड्डे तक
- नन्नीलम से कर्मचारी आवास के रास्ते (अपराहन 12:00) तिरुवारूर बस अड्डे तक
- तिरुवारूर से कर्मचारी आवास के रास्ते (अपराहन 2:45) नन्नीलम बस अड्डे तक

- नन्नीलम से कर्मचारी आवास के रास्ते (अपराहन 4:30) तिरुवारूर बस अड्डे तक
- तिरुवारूर से कर्मचारी आवास के रास्ते (अपराहन 6:45) नन्नीलम बस अड्डे तक
- नन्नीलम से कर्मचारी आवास के रास्ते (अपराहन 8:00) तिरुवारूर बस अड्डे तक
- तिरुवारूर से कर्मचारी आवास के रास्ते (अपराहन 9:15) नन्नीलम बस अड्डे तक

इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल

इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल '(आईआईसी)

इनोवेशन सेल एमओई की पहल है और देश भर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से एआईसीटीई परिसर में स्थापित किया गया है। इनोवेशन सेल का प्राथमिक जनादेश युवा छात्रों को नए विचारों और प्रक्रियाओं के लिए प्रोत्साहित करने, प्रेरित करने और उनका पोषण करने के लिए है , जो उच्च शिक्षा संस्थानों में नेटवर्क इनोवेशन क्लबों के माध्यम से अपने प्रारंभिक वर्षों में अभिनव गतिविधियों के परिणामस्वरूप हुए हैं।

एमआईसी ने चयनित एचईआई में 'इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी)' के निर्माण को प्रोत्साहित करने की कल्पना की है। इन आईआईसी का एक नेटवर्क संस्थान में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा ताकि परिसरों में नवाचार को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके।

आईआईसी के प्रमुख केंद्र:

1. एक जीवंत स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना
2. एचईआई में स्टार्ट-अप सपोर्टिंग मैकेनिज्म
3. नवाचार उपलब्धियों की रूपरेखा पर संस्थानों की अटल रैंकिंग के लिए तैयार करना
4. विचारों की खोज और विचारों के पूर्व-ऊष्मायन के लिए फंक्शन इकोसिस्टम स्थापित करना
5. प्रौद्योगिकी छात्रों के लिए बेहतर संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना।
6. इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी)

अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ

अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ (आईएससी)

तकेंवि ने विविध क्षेत्रीय और सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ, एक ऐसा संस्कृतिक परिसर और वातावरण का निर्माण किया है जो असमानताओं का सम्मान करता है, समावेशिता को प्रोत्साहित करता है और विविधताओं को विश्वविद्यालय के मूल मंत्र के रूप में दर्शाता है। तकेंवि अत्यधिक प्रेरित व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करता है, जो अद्वितीय शैक्षिक अनुभव की तलाश में हैं।

एनआरआई/विदेशी नागरिकों के लिए प्रवेश हेतु दिशानिर्देश

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत सरकार के तहत द्वारा नामित विदेशी नागारिकों के आवेदन और स्व-वित्तपोषण योजना के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विदेशी नागरिकों को प्रवेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूसीईटी) में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है; हालाँकि, उन्हें किसी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय / संस्थान की समकक्ष योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विदेशी नागरिकों के लिए अधिसंख्य आधार पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों के 10% की सीमा तक प्रावधान उपलब्ध है।

अध्ययन कार्यक्रम और पात्रता मानदंड से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया www.cutn.ac.in देखें।

प्रो. ई.एम. शंकर
नोडल अधिकारी, विदेशी विद्यार्थियों का सीधा प्रवेश
समन्वयक,अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश
तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय
नीलक्कुड़ी, तिरुवारूर 610 005
ईमेल: international@cutn.ac.in
दूरभाष: 00 9195 6657 4905/0098 6570 5280

एनएसएस और एनसीसी विवरण और संपर्क व्यक्ति

एनएसएस: समुदाय के प्रति निःस्वार्थ सेवा

तकेंवि में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की 4 इकाइयाँ हैं। वर्तमान में एनएसएस-तकेंवि में प्रथम वर्ष के नामांकन के 200 स्वयंसेवकों के साथ कुल 400 स्वयंसेवक हैं। जो छात्र समाज कल्याण गतिविधियों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व में सुधार करना चाहते हैं, वे एनएसएस में शामिल हो सकते हैं। एनएसएस नियमित सामाजिक कल्याण गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण, सफाई, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जाँच शिविर आदि और अंगीकृत गाँवों में हर साल 7 दिवस का विशेष शिविर आयोजित करता है। ये गतिविधियाँ छात्रों को दूसरों की मदद करने के साथ-साथ राष्ट्र की मदद करने का भाव उत्पन्न करेगी और वे राष्ट्र निर्माण गतिविधियों की ओर उन्मुख होंगी। एनएसएस में एक सक्रिय सदस्य होने के नाते, छात्र स्वयंसेवक निम्नलिखित बातों का अनुभव कर सकते हैं:

- एक कुशल सामाजिक नेता
- कुशल प्रशासक
- एक व्यक्ति जो मानव स्वभाव को समझता है

एनएसएस स्वयंसेवक होने का मुख्य लाभ यह है कि उन्हें विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेने का एक बड़ा मौका मिलेगा। एनएसएस का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा प्रदान करने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।

संपर्क व्यक्ति:

डॉ. वी. गुणशेखरन**,** एनएसएस समन्वयक, ईमेल**: gunasekaran@cutn.ac.in**
डॉ. एस. सीतालक्ष्मी,एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी,ईमेल**: seethalakshmis@cutn.ac.in**
डॉ. एस. सेंतिलकुमार, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी,ईमेल**: senthilkumar@cutn.ac.in**
डॉ. एस. के. बालशण्मुगम, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी,ईमेल**: balashanmugam@cutn.ac.in**

एनसीसी

1988 में निर्धारित एनसीसी के 'उद्देश्य' समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और देश के वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में इससे अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखते हैं। एनसीसी का उद्देश्य युवा नागरिकों में चरित्र, भाईचारा, अनुशासन, एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना और निःस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकास करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व के गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक समूह बनाना है, जो राष्ट्र की सेवा करेंगे, भले ही वे किसी भी करियर को चुनें। कहने की जरूरत नहीं है कि एनसीसी युवा भारतीयों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए अनुकूल माहौल भी प्रदान करता है।

- संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना, जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करना और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहना।
- सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना।
- देश के युवाओं में चरित्र, भाईचारा, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना और निःस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकास करना।

स्रोत: https://indiancc.nic.in/aim-of-ncc/

संपर्क व्यक्ति:
डॉ. जे. अशोक कुमार
एएनओ (एसडी), 5-दल सं., 2 (पी) इंडेप कॉय, एनसीसी कारैक्कल

डॉ. लेखा डी भट

एएनओ (एसडब्लू), दल सं., 2 (पी) इंडेप कॉय, एनसीसी कारैक्कल

उत्क्रम परासरण संयंत्र (आ रो)

क्र.सं.	स्थान	क्षमता
1	एनएलबीएस-I	250 ली/घंटा
2	एनएलबीएस -II	250 ली/घंटा
3	शैक्षिक भवन -III	250 ली/घंटा

4	प्रशासनिक ब्लॉक	250 ली/घंटा
5	रसायन विभाग	250 ली/घंटा
6	गणित विभाग	250 ली/घंटा
7	पदार्थ विज्ञान विभाग	250 ली/घंटा
8	एमआरएसएच	250 ली/घंटा
9	एनएमआरएसएच	250 ली/घंटा
10	छात्र सुविधा केंद्र (पीईबी)	250 ली/घंटा
11	300 सीट छात्र आवास	500 ली/घंटा
12	300 सीट छात्रा आवास	500 ली/घंटा

संपर्क कुंजी (प्रशासनिक और सहायता सेवाएँ)

प्रशासन (तकेंवि)		
शैक्षणिक अनुभाग	A001- प्रशासनिक ब्लॉक	04366 277261
वित्त अनुभाग	A002- प्रशासनिक ब्लॉक	04366 277321
प्रशासन	A012-प्रशासनिक ब्लॉक	04366 277320
आई टी अनुभाग	B001-प्रशासनिक ब्लॉक	04366 277290
कुलसचिव सचिवालय	F1-01-प्रशासनिक ब्लॉक	04366 277230
कुलपति सचिवालय	प्रशासनिक ब्लॉक	04366 277351
सहायता सेवा		
एंबुलेंस	तकेंवि	04366 277566
एंबुलेंस	बाह्य	7947166810, 9597111195 and 8883174868
पुलिस कोतवाली	तिरुवारूर	04366 220228
	नन्निलम	04366 230449

स्वास्थ्य सेवा	तकेंवि	9442488404
तिरुवारूर चिकित्सा केंद्र	तिरुवारूर सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सा केंद्र	04366 220040
	तिरुवारूर मेडिकल केंद्र	7550045678
	नव जीवन चिकित्सा केंद्र	9597035108
	वेंकटश्वरा चिकित्सा केंद्र	9750028115
	अरुण मेडिकल केंद्र	7947415500
	अंसारी ओर्थो विशेष केंद्र	7947415765
	लक्षणा चिकित्सा केंद्र	04366 240210
	वंडामपलई लाइंस आँख चिकित्सा केंद्र	04366 240099
	सूर्या चिकित्सा केंद्र	04366 242447
	एन जी डाइबिटीज़ स्वास्थ्य केंद्र	9489985222
अग्नि सुरक्षा एवं बचाव केंद्र	तिरुवारूर	04366 242101
	नन्निलम	04366 229101
रेल्वे आरक्षण	तिरुवारूर	https://www.irctc.co.in/
ऑनलाइन बस बुकिंग (SETC, SRS, TNSTC, KSRTC और Redbus)		http://www.setc.org.in/ https://www.srsbooking.com/ https://www.tnstc.in/TNSTCOnline/ https://www.ksrtc.in/ https://www.redbus.in/

बैंक: तकेंवि के प्रशासनिक ब्लॉक में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा एवं ए टी एम की सुविधा उपलब्ध

शाखा का नाम: भारतीय स्टेट बैंक , तकेंवि, नीलक्कुड़ी परिसर
शाखा कोड : 18724
आई एफ एस सी : SBIN0018724
कार्य समय : 10.00 पूर्वाह्न – 4.00 अपराह्न

डाक कार्यालय: डाक कार्यालय प्रशासनिक भवन में स्थित है

कार्य समय : 10.00 पूर्वाह्न – 3.00 अपराह्न
पिन कोड : 610 005

नजदीकी हवाई अड्डा

हवाई अड्डे का नाम	शहर	IATA कोड	दूरी
तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	तिरुचिरापल्ली	TRZ	102.71 किमी
पॉण्डिचेरी सिविल हवाई अड्डा	पॉण्डिचेरी	PNY	175 किमी
मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	मदुरै	IXM	199.35 किमी
चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	चेन्नई	MAA	253.59 किमी
कोयंबटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	कोयंबत्तूर	CJB	286.1 किमी
केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीयअड्डा	बैंगलोर	BLR	343.17 किमी
कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	कोच्चि	COK	361.67 किमी
त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीयहवाई अड्डा	तिरुवनंतपुरम	TRV	392.52 किमी
कालिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	कालिकट	CCJ	405.42 किमी
मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	मंगलोर	IXE	572.51 किमी

केंद्रीय विद्यालय – तकेंवि तिरुवारूर

केंद्रीय विद्यालय तकेंवि तिरुवारूर की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। के.वि. तकेंवि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविएस) द्वारा संचालित लोकप्रिय के.वि. विद्यालयों में से एक है। केंद्रीय विद्यालय तकेंवि तिरुवारूर, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर, तिरुवारूर तमिलनाडु-610005 में स्थित है।

के.वि. तकेंवि तिरुवारूर एक सह-शिक्षा विद्यालय है, यह छात्रों और शिक्षकों के लिए उचित सुविधाओं

और सुव्यवस्थित बुनियादी ढाँचे से सुसज्जित है जो सीखने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करता है। केंद्रीय विद्यालय तकेंवि तिरुवारूर केवीएस चेन्नै रीजन के अंतर्गत आता है।

केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति

प्रो.एम. कृष्णन्
कुलपति, तकेंवि
अध्यक्ष

प्रो. ई.एम. शंकर
जैव प्रौद्योगिकी विभाग, तकेंवि

डॉ. दीपक एम सकाते
सांख्यिकी एवं अनुप्रयुक्त गणित विभाग, तकेंवि

डॉ. के. बालसुब्रमणि
भूगोल विभाग, तकेंवि

डॉ. जी. रमेश
तमिल विभाग, तकेंवि

श्रीमती एन. मैथिली, तिरुवारूर

श्रीमती जयंती, तिरुवारूर

डॉ. के. विष्णु प्रिया
चिकित्सा अधिकारी

डॉ. बी. राधा
मीडिया एवं संचार विभाग, तकेंवि

श्री. विजय आनंद
शिक्षक, केवि- तिरुवारूर

श्री. के. आरुमुगम, प्राचार्य(प्रभारी)
सदस्य सचिव

डॉ. के. सेतुरामन, पदार्थ विज्ञान, तकेंवि

श्री. जितेंद्र स्वामी, कार्यकारी अभियंता, सीपीडब्लूडी, तिरुवारूर

संपादकीय मण्डल

1. प्रो. सिगामनी. पी, संकायाध्यक्ष, व्यावहारिक विज्ञान विद्यापीठ - अध्यक्ष
2. प्रो. ए. सेल्वम, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण - सदस्य
3. प्रो. ई. एम. शंकर, आचार्य, जैवप्रौद्योगिकी विभाग- सदस्य
4. डॉ. बिजु के, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग – सदस्य
5. डॉ. वी गुणशेखरन, सहायक आचार्य, पदार्थ विज्ञान विभाग - सदस्य
6. डॉ. फ्रांसिस फिलिप बार्क्ले, सहायक आचार्य, मीडिया एवं संचार विभाग – सदस्य
7. श्री टी पी गिरीश्वरन, कनिष्ठ व्यावसायिक सहायक – सदस्य
8. श्री सन्मति जिनेंद्रन जैन, अर्ध- व्यावसायिक सहायक, केन्द्रीय पुस्तकालय – सदस्य
9. डॉ. एन बूबालकृष्णन, सहायक आचार्य, मीडिया एवं संचार विभाग - समन्वयक